मानवाधिकार जीवन आधार

भाग- 1

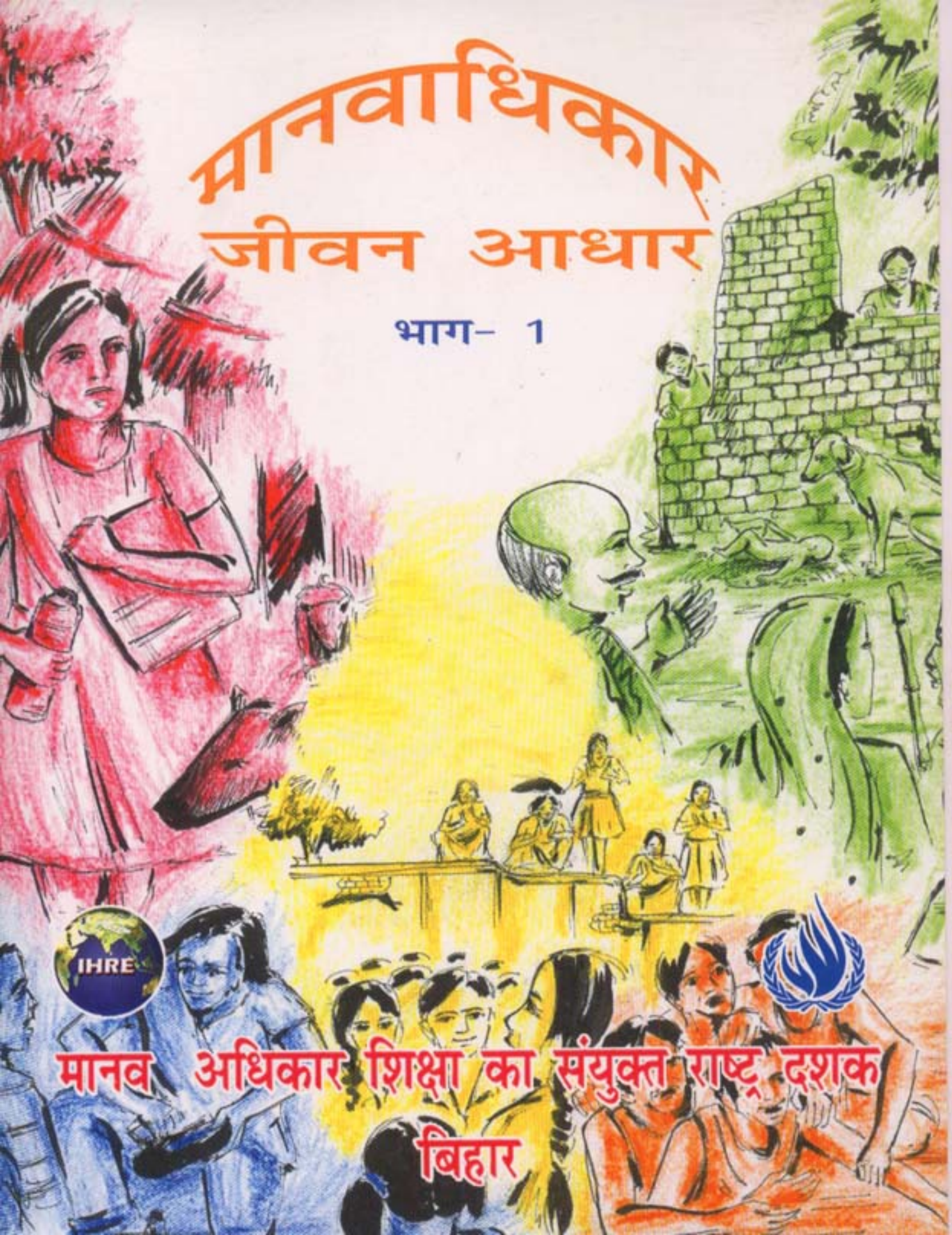

IHRE

मानव अधिकार शिक्षा का संयुक्त राष्ट्र दशक

बिहार

मानवाधिकार जीवन आधार

भाग- 1

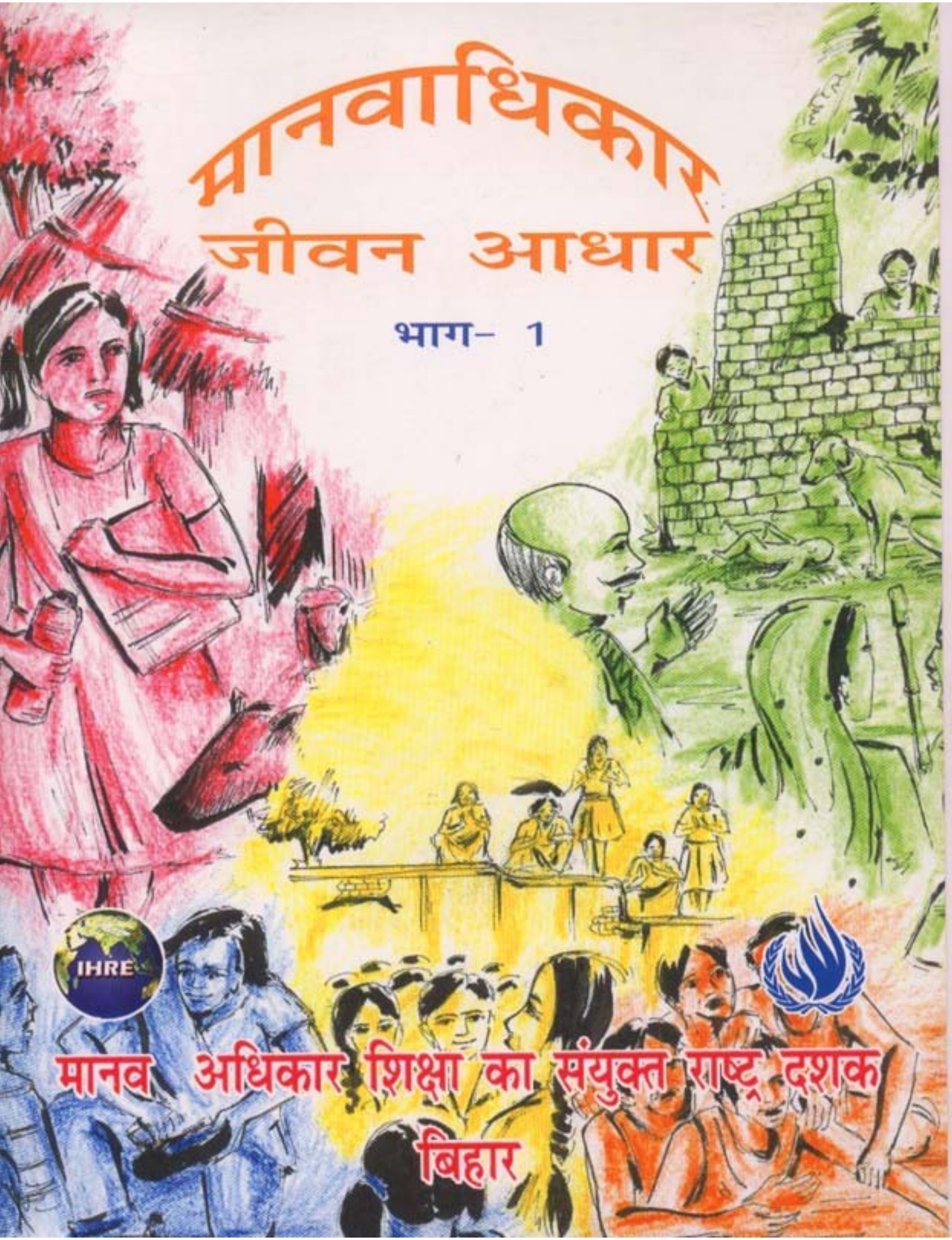

मानव अधिकार शिक्षा का संयुक्त राष्ट्र दशक

बिहार

मानवाधिकार
जीवन आधार

मार्गदर्शन
प्रोफेसर प्रभात पी. घोष

विषय प्रवर्तन
अखिलेश कुमार

कार्यशाला के प्रतिभागी
अहमद बद्र
राज बल्लभ
महेन्द्र सुमन
डा. अर्चना वर्मा
तेजनारायण प्रसाद
अंजनी कुमार वर्मा
उदय कुमार
उमेश्वर
राजेश कुमार सिंह
बिजेन्द्र प्रसाद
संजीव मिश्रा
आनन्द भूषण

शोध निर्देशन
डा. शैबाल गुप्ता

सम्पादन
अहमद बद्र

कला
नीतू कुमारी

कम्पोजिंग एवं पृष्ठ सज्जा
हरेन्द्र कुमार

प्रकाशक
इन्स्टीच्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स, मदुरै, तमिलनाडु
एवं
एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीच्यूट (आद्री), पटना (बिहार)

मुद्रक
.....

संस्करण
2007

प्रति

मानवाधिकार
जीवन आधार

भाग – 1

एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीच्यूट (आद्री), पटना, बिहार
इन्स्टीच्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एडुकेशन, मदुरै, तमिलनाडु

प्राक्कथन

मानवाधिकार शिक्षा एक ऐसा कार्यक्रम है जो 1997 से तमिलनाडु के स्कूलों में चल रहा है। यह तमिलनाडु से होते हुए अब मानवाधिकार शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत देश के 13 राज्यों में कार्यान्वित हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि यह कार्यक्रम अब बिहार के विद्यालयों में भी लागू हो रहा है।

2004 में राष्ट्रसंघ मानवाधिकार शिक्षा दशक (1995-2004) के अंत में, राष्ट्रसंघ ने आवश्यकता महसूस की कि इस दशक को विश्व मानवाधिकार शिक्षा कार्यक्रम (2005-2007) के रूप में बढ़ाया जाय। इस कार्यक्रम में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को केन्द्र में रखा जा रहा है। इसे अब 2009 तक बढ़ाया जा रहा है। भारत सरकार इसका एक हस्ताक्षरी है, इसलिए उसका कर्तव्य बनता है कि वह मानवाधिकार शिक्षा को सभी भारतीय विद्यालय में लागू करे। लेकिन राष्ट्रसंघ मानवाधिकार शिक्षा दशक के दौरान और उसके बाद, भारत सरकार और राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों द्वारा बहुत कम प्रयास किया गया है। अब तक विद्यालयों में मानवाधिकार शिक्षा लागू करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन इन्स्टीच्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एडुकेशन, जिसका मुख्यालय मदुरै, तमिलनाडु में स्थित है, 1997 से एक मानवाधिकार संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से विद्यालयों में मानवाधिकार शिक्षा लागू कर रहा है। 1997 से तमिलनाडु के विद्यालयों में प्रयोगों का ही नतीजा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम का विस्तार 13 राज्यों में किया जा रहा है।

स्कूली छात्रों के लिए एक विषय के रूप में मानवाधिकार लागू करने की कोशिश में संस्थान तीन मॉड्यूल तैयार कर चुका है। ये तीनों मॉड्यूल विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में अंगीकार किए जा चुके हैं और पढ़ाए जा रहे हैं।

एशियन डेवलमेंट रिसर्च इन्स्टीच्यूट (आद्री) बिहार के लिए, जहां मानवाधिकार शिक्षा इस साल से लागू की जा रही है, इन्स्टीच्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एडुकेशन का सहयोगी संगठन है। आद्री ने इसके लिए विशेषज्ञों की एक अच्छी पाठ्यचर्या समिति का गठन किया है। उसने एक कार्यशाला का आयोजन किया और एक बिल्कुल नया मॉड्यूल तैयार किया। हमारे देश में मानवाधिकार शिक्षा मॉड्यूल एक नई चीज है। इसलिए कोई भी मॉड्यूल को स्वयं संपूर्ण पाठ्यपुस्तक के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। जब इस माड्यूल को बच्चों के बीच लागू किया जाएगा, इसके प्रति उनकी समझ के अनुरूप, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

मैं आश्वस्त हूं कि इस मॉड्यूल को अत्यंत सरल वास्तविक जीवन कथाओं के साथ तैयार किया गया है। इससे बच्चे आसानी से मानवाधिकार शिक्षा समझ पाएंगे और हम मानवाधिकार शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने के करीब पहुंच पाएंगे।

मैं उन सब को बधाई देती हूं जिन्होंने इस काम में योगदान किया है।

डा. वी. वासंती देवी

चेयरपर्सन, इन्स्टीच्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एडुकेशन

दो शब्द

मानवाधिकार हरेक व्यक्ति का अधिकार है जो इसका अधिकारी है। लेकिन बहुत कम लोग इसके प्रति जागरूक हैं। गरीब और वंचित तबकों के लोग इसके बारे में पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। ऐसी हालत में मानवाधिकार शिक्षा न केवल प्रासंगिक है बल्कि अनिवार्य भी है। मानवाधिकार शिक्षा कई तरह से समाज के लिए सहायक हो सकती है। यह समाज को अधिक मानवीय और लोकतांत्रिक बना सकती है और अधिक जनहितैषी बनाने के लिए सरकार पर दबाव भी डाल सकती है।

बच्चे, महिलाएं, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय मानवाधिकार शिक्षा के मुख्य लक्ष्य समूह हैं। इन तबकों के अधिकांश लोगों के अधिकारों और गरिमा पर अक्सर हमले होते हैं। बिहार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बुनावट और यहां व्याप्त घोर गरीबी के कारण मानवीय मूल्य एवं अधिकार बुरी तरह प्रभावित होते रहे हैं। इस संदर्भ में मानवाधिकार शिक्षा का काफी महत्व है।

हमारे देश में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार शिक्षा दशक (1995-2004) बिना किसी प्रभाव के समाप्त हो गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र विश्व मानवाधिकार शिक्षा कार्यक्रम (2004-07) भी अंतिम चरण में है। हमारा देश संयुक्त राष्ट्र के उक्त दोनों कार्यक्रमों का हस्ताक्षरी रहा है। इसलिए यह हमारे लिए बाध्यकारी है कि मानवाधिकार शिक्षा को राज्य के हरेक विद्यालय में प्रारंभ किया जाय।

बिहार के विद्यालयों में मानवाधिकार शिक्षा प्रारंभ करने के उद्देश्य से आद्री और इन्स्टीच्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एडुकेशन, मदुरै, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में बिहार के तीन जिलों के चयनित मध्य विद्यालयों में यह परियोजना शुरू की गई है। चयनित विद्यालयों के शिक्षकों में मानवाधिकार शिक्षा विषयक दक्षता विकसित करना इस परियोजना का मूल उद्देश्य है ताकि मानवाधिकार शिक्षा स्कूली पाठ्यचर्या का अंग और संस्कृति आधारित मानवाधिकार विकास बन सके।

'मानवाधिकार जीवन आधार' नामक यह पुस्तक आद्री के प्रयास से तैयार की गई है। यह पुस्तक मुख्य रूप से छठी कक्षा के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें उनके लिए विषयवस्तु की जानकारी रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक को जीवन से संबंधित अधिकार, स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार, समानता से संबंधित अधिकार और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार जैसे चार अध्यायों में बांटा गया है। प्रत्येक अध्याय में चार पाठ दिए गए हैं। प्रत्येक पाठ में उपर्युक्त पहलुओं को शामिल किया गया है। इन पाठों को सरल और सरस बनाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हम कार्यशाला के लेखकों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। पुस्तक को और अधिक उपयोगी और प्रभावी बनाने के लिए एक शिक्षक संदर्शिका अलग से तैयार की गई है।

हम आशा करते हैं कि राज्य के बच्चों के बीच मानवाधिकार के संस्कार की नींव डालने में यह पुस्तक मील का पत्थर साबित होगी।

शैबाल गुप्ता
सदस्य-सचिव, आद्री

विषय सूची

भाग- 1 जीवन-सहजीवन

1. कुत्ते की इन्सानियत – 6
2. रामप्यारी की मौत – 9
3. नया सवेरा – 12
4. झूला – 15

भाग- 2 मेरी आजादी-उसकी आजादी

1. मेरा दोस्त मेरी मर्जी – 19
2. रिंकी का रिजल्ट – 22
3. दो समाचार – 25
4. हक – 28

भाग- 3 समता-समानता

1. यह कैसी आजादी? – 32
2. तीन आवाजें – 35
3. मन का मीत – 38
4. बस की सीट – 41

भाग- 4 मान-सम्मान

1. पिंकी की परेशानी – 45
2. इज्जत की रोटी – 48
3. छुटकारा – 51
4. अपमान – 54

भाग - 1

जीवन-सहजीवन

- कुत्ते की इन्सानियत (जीने का अधिकार)
- रामप्यारी की मौत (भोजन, वस्त्र और आवास का अधिकार)
- नया सवेरा (शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार)
- झूला (स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार)

कुत्ते की इन्सानियत

सुबह-सुबह शोरगुल सुनकर सुधीर की नींद खुल गई। 'क्या हुआ मां?' उसने आंखें मलते हुए अपनी मां से पूछा।

'चौराहे के पास एक बच्चा पड़ा हुआ है।' मां ने बताया।

'जिंदा?' सुधीर के स्वर में आश्चर्य था।

'हां, जिंदा।'

सुधीर अपनी मां के साथ वहां पहुंचा। देखा, बच्चा दीवार के पास एक फटे बोरे पर लेटा था। एक कुत्ता उसके पास बैठा उसे एकटक देख रहा था। बीच-बीच में वह सतर्क नजरों से आसपास देख लेता।

'मुश्किल से छः-सात घंटे का होगा। पता नहीं कौन फेंक गया?' मंगल चाचा कह रहे थे।

'राम-राम! कैसा पत्थर होगा उसका कलेजा कि बच्चे को मरने के लिए फेंक दिया!' रतनी बुआ बोलीं।

तभी कुत्ता गुर्राया। एक दूसरा कुत्ता बच्चे की ओर बढ़ रहा था। बच्चे के पास बैठे कुत्ते की कद-काठी देख वह सहमकर पीछे हट गया।

अब लोगों की बातचीत का केंद्र कुत्ता था।

'कितना इन्सान कुत्ता है! देखो तो, कैसे मुस्तैदी से इसकी हिफाजत कर रहा है।' सुधीर की मां बोलीं।

'नहीं हिफाजत करता तो बच्चा जिंदा कैसे बचता!' गोरकी चाची ने जोड़ा।

तभी बच्चा रो पड़ा। शायद भूख लगी थी।

केसर बुआ ने आगे बढ़कर उसे उठा लिया और दूध पिलाने लगीं। बच्चा चुप होकर दूध पीने लगा।

तभी पुलिस आ गई। लोग सहमकर पीछे हट गए। सुधीर भी अपनी मां के साथ घर चल पड़ा। उसके दिमाग में उथल-पुथल मची थी। इन्सान कौन है? मानवता किसमें है - बच्चे को फेंकने वाले में कि कुत्ते में? क्या आदमी पैदा होने से ही मानव हो जाता है या मानवता भी जरूरी है?

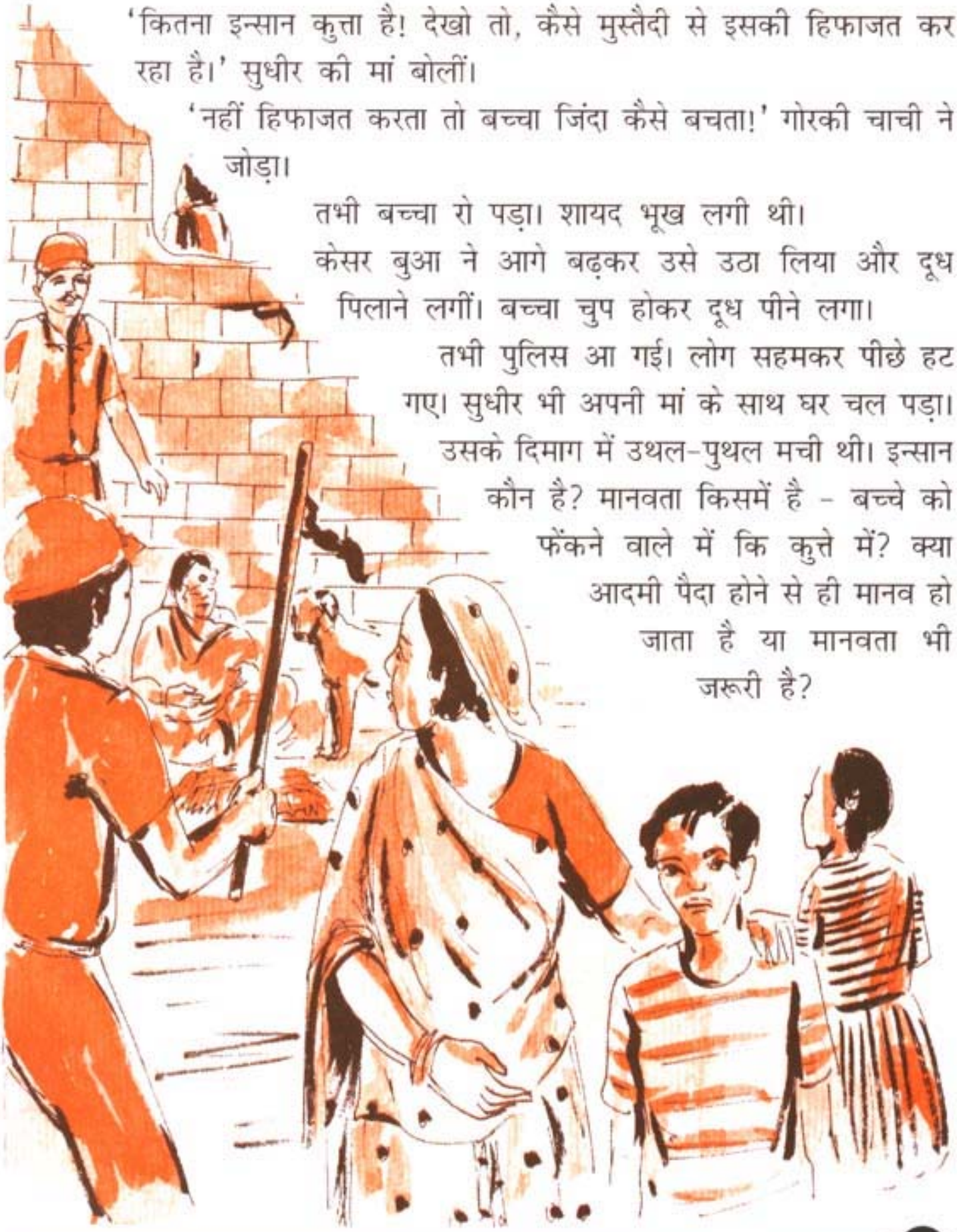

अभ्यास

1. कुत्ते को इन्सान कुत्ता क्यों कहा गया?
2. क्या बच्चे को ऐसे छोड़ देना सही था?
3. वहां खड़े लोगों को क्या करना चाहिए था?
4. पुलिस क्यों आई?
5. तुम वहां होते तो क्या करते?
6. क्या उस बच्चे को जीने का अधिकार नहीं था?
7. केसर बुआ के बारे में तुम्हारी क्या राय है?
8. सुधीर के मन में क्या उथल-पुथल चल रही थी?
9. पत्थर का कलेजा से क्या समझते हो?
10. ऐसी कोई घटना तुम्हारी जानकारी में हो तो सुनाओ।

रामप्यारी की मौत

गया जिले में एक प्रखंड है- मोहनपुर। यहीं सुदूर पहाड़ों पर एक दलित बस्ती है- दौलतबीघा। 60 परिवारों की इस बस्ती में रविदास और मांझी जाति के लोग अधिक हैं। सभी परिवार भूमिहीन हैं। वे आसपास के गांवों में मजदूरी करते हैं। खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर है। साल भर पूरा काम नहीं मिल पाता। इसीलिए काम की तलाश में ज्यादातर परिवारों को बस्ती छोड़कर अन्य शहरों में जाना पड़ता है। मुश्किल से 5-7 परिवार ही गांव में बच जाते हैं या फिर बूढ़े, लाचार और बच्चे।

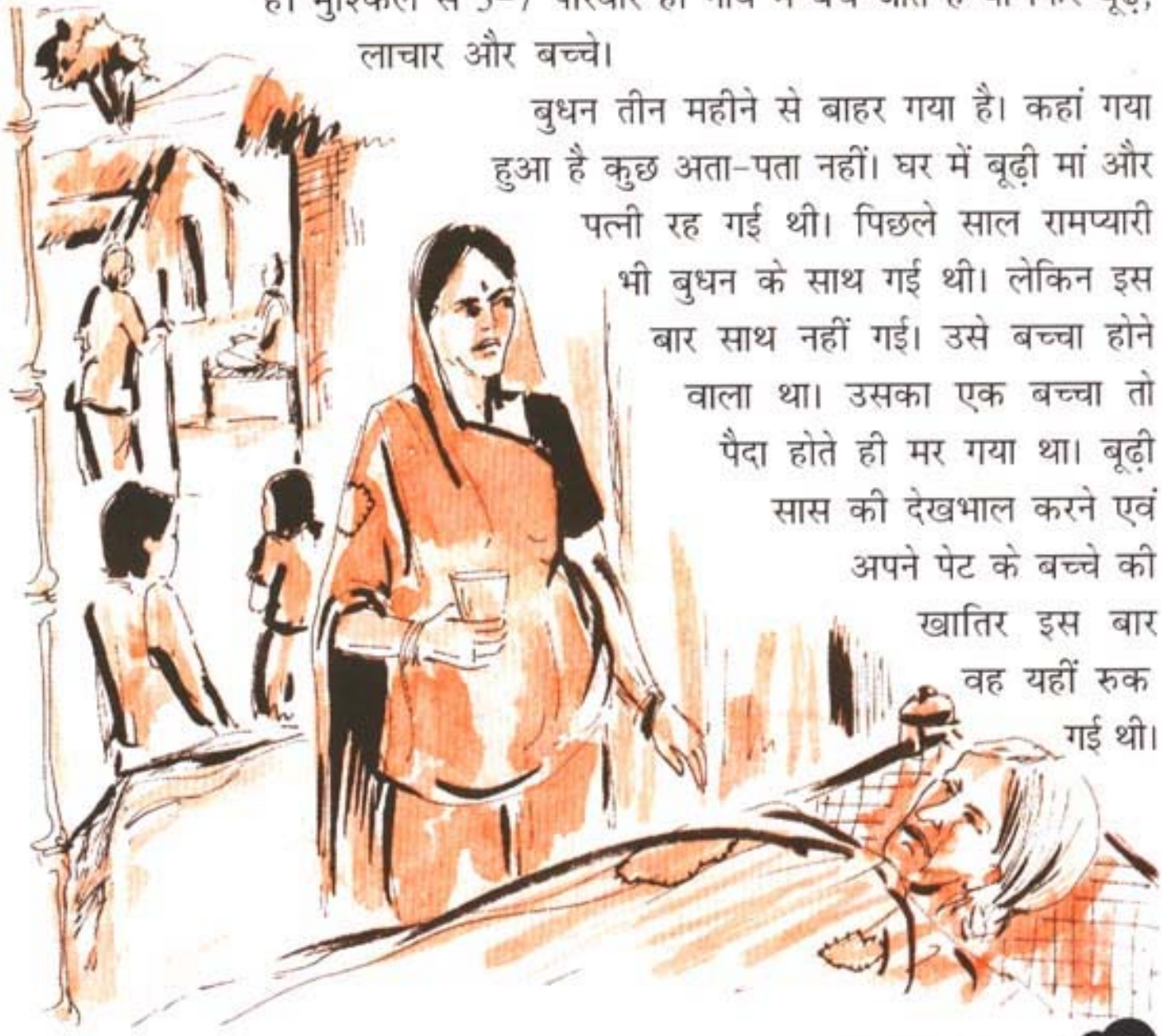

बुधन तीन महीने से बाहर गया है। कहां गया हुआ है कुछ अता-पता नहीं। घर में बूढ़ी मां और पत्नी रह गई थी। पिछले साल रामप्यारी भी बुधन के साथ गई थी। लेकिन इस बार साथ नहीं गई। उसे बच्चा होने वाला था। उसका एक बच्चा तो पैदा होते ही मर गया था। बूढ़ी सास की देखभाल करने एवं अपने पेट के बच्चे की खातिर इस बार वह यहीं रुक गई थी।

लेकिन वह खुद भगवान को प्यारी हो गई।

दबी-सी एक चर्चा यह भी है कि उसकी मौत भूख से हुई। सास-पतोहू किसी तरह गुजारा कर रहे थे। कहते हैं कि उनके घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था। सास बाहर से मांग-चांगकर कुछ खा भी लेती। लेकिन रामप्यारी घर में भूखी पड़ी रहती। उसके शरीर की हड्डियां बाहर निकल आई थीं। एक दिन वह मर गई।

एक स्थानीय संवाददाता ने भूख से हुई इस मौत की खबर अखबार में छापी। खबर से बहुत हंगामा हुआ। मुखिया और बीडीओ उसके घर आए। तहकीकात की और इस खबर को झूठ करार दिया। फिर भी उन्होंने कुछ अनुदान, अंत्योदय और इंदिरा आवास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ दिए जाने की घोषणा की। ग्रामीणों ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की धांधलियों के बारे में बीडीओ को बताया। वह आश्वासन देकर चले गए। अभी तक बुधन को इस घटना के बारे में कोई खबर नहीं है।

अभ्यास

1. दौलतबीघा कहां है?
2. इस बस्ती में कितने परिवार रहते हैं तथा किस जाति के हैं?
3. गांव के अधिकतर लोग कहां चले जाते हैं?
4. रामप्यारी कौन थी? उसकी मौत कैसे हुई?
5. अखबार में रामप्यारी से संबंधित किस खबर से हंगामा हुआ?
6. मुखिया और बीडीओ ने इस खबर को झूठ क्यों कहा?
7. क्या इस खबर को झूठा करार देना उचित है?
8. ऐसे में सरकार एवं प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए?
9. क्या रामप्यारी को और जीने का अधिकार नहीं था?
10. रामप्यारी की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है?
11. निम्न योजनाओं के बारे में लिखें-

योजना का नाम	जानकारी
अंत्योदय योजना	
इंदिरा आवास योजना	
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	

12. भूख के अतिरिक्त अपने आसपास के क्षेत्र में अन्य कारणों से हुई मौतों का पता लगाएं और लिखें-

क्र.	मौत से हुई घटना	मौत का कारण

नया सवेरा

सूरज छठी कक्षा में पढ़ता है। वह पढ़ने में तेज है। अव्वल आता है। सहपाठियों का प्यारा है। शिक्षकों की आंखों का तारा है। सबका चहेता है सूरज। मगर इधर कुछ दिनों से बीमार है। टायफायड का शिकार है। महीना बीत गया पर वह स्कूल नहीं आया।

एक दिन अध्यापक पढ़ा रहे थे। तभी उन्हें सूरज का ख्याल आया। उन्होंने मदन से पूछा– 'सूरज कैसा है? वह कब स्कूल आएगा?' मदन बोला– 'महाशय, सूरज अब ठीक है। पर अब वह स्कूल नहीं आएगा। छठ बाद वह दिल्ली कमाने चला जाएगा।'

यह सुनकर अध्यापक को गहरा धक्का लगा। उन्होंने पूछा– 'क्यों?' मदन ने बताया– 'सूरज के पिताजी बता रहे थे कि उसके इलाज में बहुत कर्ज हो गया है। अब उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते।' अध्यापक ने मदन से कहा– 'सूरज के पिता बाबूलाल से कहना कि कल सूरज को साथ लेकर स्कूल आएं। मैंने बुलाया है।'

यह बात सारे स्कूल में फैल गई। प्रधानाध्यापक की कानों में भी पड़ी।

अगले दिन बाबूलाल सूरज के साथ स्कूल आया। अध्यापक की नजर पड़ी। वे दोनों को लेकर प्रधानाध्यापक के पास गए। प्रधानाध्यापक ने आदर से कुर्सी पर

बिठाया। पूछा- 'सुना है कि सूरज अब नहीं पढ़ेगा। क्या बात है?'

बाबूलाल ने सकुचाते हुए कहा- 'पढ़-लिखकर भी कहां नौकरी मिलती है। दिल्ली जाएगा तो कुछ हुनर सीख लेगा। दो पैसा कमाएगा तो परिवार को मदद होगी। कर्ज से छुटकारा मिलेगा।' प्रधानाध्यापक ने नाराज होकर कहा- 'दो पैसा कमाने के लिए आप सूरज को असमय डूबो देंगे। जानते हैं सूरज की कीमत आप। सूरज गुदड़ी का लाल है। यह कल क्या बन जाएगा कोई नहीं कह सकता। आप उसका हक मार रहे हैं। आप नहीं जानते कि दलित बच्चों की पढ़ाई हेतु सरकार छात्रवृत्ति देती है।'

बाबूलाल चुपचाप सुनता रहा।

फिर सूरज के अध्यापक ने प्यार से समझाया- 'जगलाल चौधरी का नाम सुना

है आपने। उनके पिता ताड़ी बेचते थे। उन्होंने उस जमाने में उन्हें कोलकाता भेजा। डाक्टरी की पढ़ाई के लिए। वे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने।' सूरज के पिता ने कहा- 'लेकिन...।' प्रधानाध्यापक ने डांटते हुए कहा- 'लेकिन-वेकिन कुछ नहीं। कल से भेजिए स्कूल।'

बाबूलाल ने सिर झुकाकर धीरे से कहा- 'ठीक है।' दोनों घर लौट आए।

अगले दिन सूरज का उदय हुआ। नया सवेरा हुआ। सूरज सब के साथ स्कूल चला। सूरज पर छाए काले बादल छंट चुके थे।

अभ्यास

1. सूरज सबका चहेता क्यों था?
2. अध्यापक को क्या सुनकर गहरा धक्का लगा?
3. अध्यापक ने बाबूलाल को स्कूल क्यों बुलवाया?
4. बाबूलाल सूरज को दिल्ली क्यों भेजना चाहता था?
5. सूरज अगर दिल्ली चला जाता तो क्या होता?
6. जगलाल चौधरी कौन थे?
7. दलित बच्चों की पढ़ाई हेतु सरकार क्यों मदद करती है?
8. इस तरह की परिस्थिति यदि तुम्हारे साथ बन जाए तो तुम क्या करोगे?
9. क्या गरीब बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है?
10. अपना हक पाने के लिए क्या करना चाहिए?

झूला

'मां....मां... क्या हमलोग झूला नहीं झूलेंगे। कमली चाची के यहां झूला लगा है।' राधा ने मां से पूछा। मां ने कहा- 'जा झूल ले।'

राधा- 'पर मां वहां काफी भीड़ है। नागपंचमी है न।'

मां- 'तो दूसरी जगह कहां झूला लगा है?'

राधा- 'कहीं नहीं। गांव में बस कमली चाची के बागान में। वहीं तो एक बड़ा पेड़ है।'

मां- 'पता नहीं क्या हो गया है सबको। एक भी पुराना पेड़ नहीं रहने दिया गांव में। अब बच्चे झूला भी नहीं झूल सकते। एक हमारा बचपन था।'

राधा- 'मां तुम झूला झूलती थी?'

मां- 'बहुत। अपने आंगन में ही नीम के पेड़ पर झूला लगता था। अब तो सब सपना-सा लगता है।'

राधा- 'पेड़ कैसे खत्म हो गए मां?'

मां- 'यह सब हमारी ही कारस्तानी है। लोगों ने अपनी जरूरतों के लिए पेड़ों को, जंगलों को काटना शुरू किया। काटते गए.... काटते गए....। आज न जंगल बच रहे हैं न पेड़। बस बाढ़ और सूखा ही बचा है। जमीन के अंदर का पानी भी सूख गया।'

राधा- 'मां दादी कह रही थी कि सूखे के कारण ही पिताजी बाहर कमाने गए हैं।'

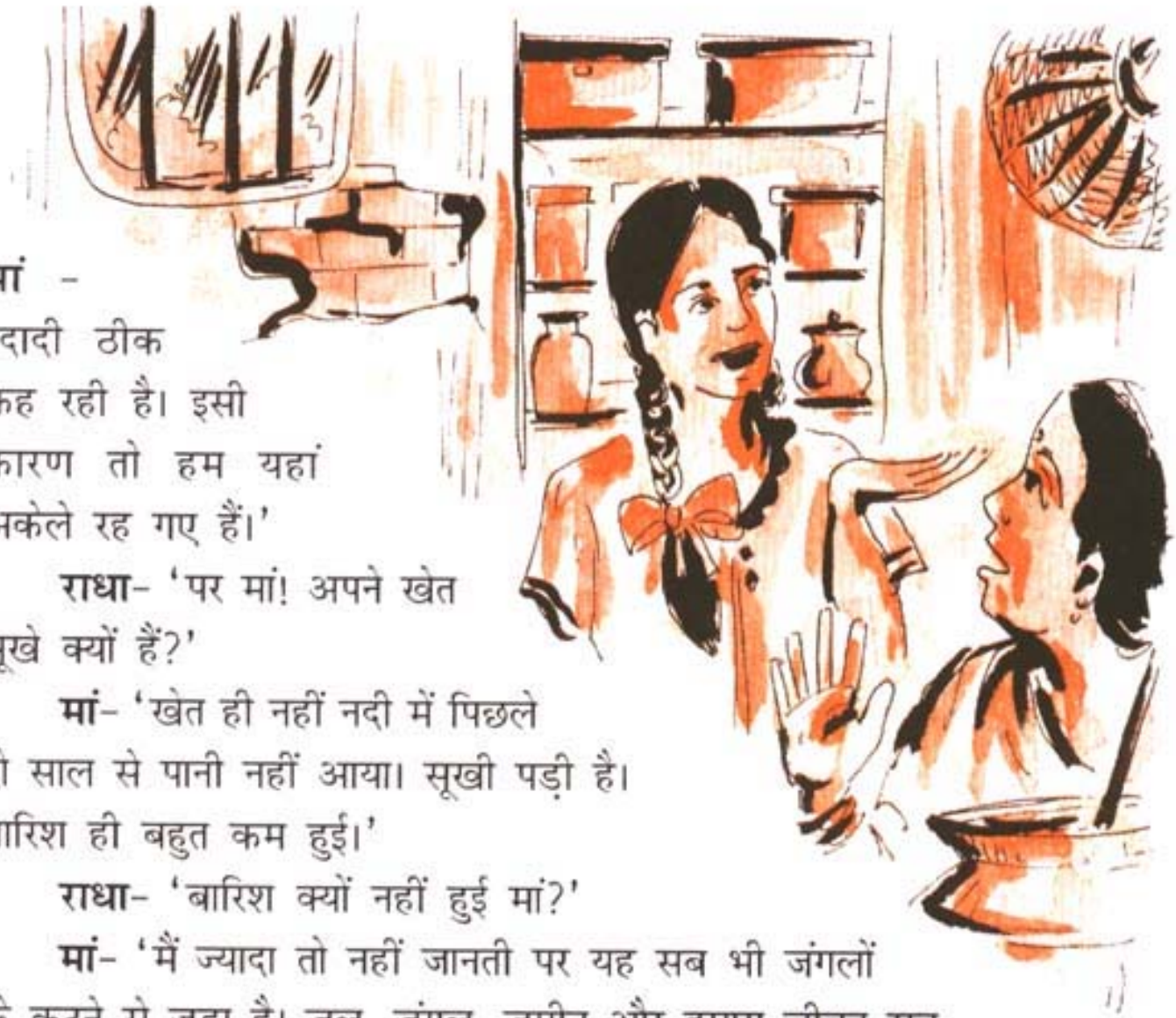

मां - 'दादी ठीक कह रही है। इसी कारण तो हम यहां अकेले रह गए हैं।'

राधा- 'पर मां! अपने खेत सूखे क्यों हैं?'

मां- 'खेत ही नहीं नदी में पिछले दो साल से पानी नहीं आया। सूखी पड़ी है। बारिश ही बहुत कम हुई।'

राधा- 'बारिश क्यों नहीं हुई मां?'

मां- 'मैं ज्यादा तो नहीं जानती पर यह सब भी जंगलों के कटने से जुड़ा है। जल, जंगल, जमीन और हमारा जीवन सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तुम्हारे बाबूजी कहते हैं कि सबको मिलाकर पर्यावरण बनता है।'

राधा- 'तो पर्यावरण जैसा रहेगा हमारा जीवन भी वैसा ही रहेगा। क्यों मां?'

मां- 'हां, पर्यावरण गंदा तो जीवन गंदा। पर्यावरण अच्छा तो सब अच्छा।'

राधा- 'क्या हमें अच्छा जीवन जीने का अधिकार नहीं?'

मां- 'क्यों नहीं। पर.....'

राधा- 'मैं कल स्कूल में दीदी से पूछूंगी।'

अभ्यास

1. नागपंचमी के दिन गांव में क्या-क्या होता है?
2. पेड़ न होगा तो क्या होगा?
3. जंगल हमारे लिए क्यों जरूरी है?
4. बाढ़ कैसे आती है?
5. बाढ़ और सूखा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कैसे?
6. नदी क्यों सूखी है?
7. हम सबका जीवन हमारे आसपास के पर्यावरण से कैसे जुड़ा है?
8. पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है?
9. अच्छा जीवन जीने के अधिकार के प्रति तुम्हारी क्या राय है?
10. पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो?

भाग - 2

मेरी आजादी-उसकी आजादी

- मेरा दोस्त मेरी मर्जी (मित्र चुनने का अधिकार)
- रिंकी का रिजल्ट (सूचना पाने का अधिकार)
- दो समाचार (बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार)
- हक (अभिव्यक्ति की स्वतं.ता का अधिकार)

मेरा दोस्त मेरी मर्जी

अपना बल्ला लेकर अशोक घर से निकल ही रहा था कि मां ने टोक दिया।

'कहां जा रहे हो?'

'खेलने।'

'आज नहीं खेलना है।'

'क्यों?'

'आज अविनाश के घर जाना है। उसकी बहन की शादी है।'

'मुझे नहीं जाना है उसके घर।'

'क्यों? तुम्हारे साथ पढ़ता है। तुम्हारा दोस्त है।'

'साथ पढ़ने से क्या? अविनाश मेरा दोस्त नहीं है।'

'हां, अविनाश तुम्हारा दोस्त कैसे होगा?' मां चिढ़ गई। 'तुम्हारे दोस्त तो सब कलुए-ठलुए रहेंगे।' मां का इशारा उसके गरीब सांवले दोस्तों की ओर था।

'वे लोग अविनाश से लाख दर्जे अच्छे हैं। झगड़ालू नहीं हैं। पढ़ने में भी अच्छे हैं।' अशोक भी गरम हो गया।

तभी पिताजी अंदर आए। उन्हें देख अशोक घबरा गया।

'क्यों, अभी तक तैयार नहीं हुए? जल्दी कपड़े पहनकर तैयार हो

लो और चलो।' पिताजी ने आदेश फरमाया।

'मुझे नहीं जाना है।' अशोक ने सहमी आवाज में कहा।

'क्यों?'

'अविनाश से इसकी दोस्ती नहीं है।' उसकी मां ने कहा।

सुनकर पिताजी गरज उठे। 'इससे मुझे मतलब नहीं है। उसके बाप मेरे दोस्त हैं। जल्दी तैयार होकर चलो नहीं तो चार थप्पड़ लगाऊंगा और घसीटकर ले जाऊंगा।'

अशोक डर गया। वह मरे मन से तैयार हुआ और उनके पीछे-पीछे चल पड़ा।

अविनाश के घर काफी चहल-पहल थी। दूसरे के घर होती तो अशोक भी खूब मजे करता, लेकिन यहां तो उसका मन ही नहीं लग रहा था। खाने के समय उसने दो-चार कौर गले के नीचे उतारे और लोगों की आंख बचाकर हाथ धो लिया। लौटकर घर आया तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था। कुछ देर बाद वह बेहोशी में बड़बड़ाने लगा। 'मैं अविनाश से दोस्ती नहीं करूंगा। वह स्कूल में मुझे सताता है। मैं उसके घर नहीं जाऊंगा।'

उसके पिताजी घबरा कर डाक्टर बुलाने निकल पड़े। उसके सिरहाने बैठी उसकी मां फफककर रो रही थीं और सिर पर पानी से तर पट्टी रख रही थीं।

अभ्यास

1. अशोक की तबियत क्यों बिगड़ी?
2. दोस्ती का आधार क्या होना चाहिए?
3. क्या गरीब दोस्ती के लायक नहीं होते हैं?
4. क्या दोस्ती का आधार जाति या धर्म होना चाहिए?
5. क्या दोस्ती दूसरे से पूछकर करनी चाहिए?
6. क्या हर बच्चे का दोस्त उसकी पसंद का होना चाहिए?
7. क्या दोस्ती करना बच्चे का अधिकार है?
8. क्या किसी को दूसरे का अधिकार छीनना चाहिए?
9. क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारी पसंद के हैं?
10. अगर कोई तुम्हें जबर्दस्ती किसी से दोस्ती करने को कहे तो तुम क्या करोगे?

रिंकी का रिजल्ट

शाम का समय था। अकलू मजदूरी कर घर लौटा। रोज की तरह कुदाल रखकर उसने रिंकी को पुकारा। कोई जवाब न पाकर उसे शंका हुई। तब रिंकी की मां बोली- 'जब से स्कूल से आई है गुमसुम बैठी है। किसी से बात नहीं करती।' अकलू को बात समझते देर न लगी।

अकलू धीरे से बेटी के पास पहुंचा। प्यार से पूछा- 'क्या हुआ मेरी बिटिया रानी को। यह गुलाब सा चेहरा मुरझाया क्यों है?' इतना सुनना था कि रिंकी की आंखें बरस पड़ीं। अकलू ने उसे चुप कराते हुए कहा- 'मेरी बेटी तो बहुत होनहार है। हेडमास्साब कहते हैं कि रिंकी स्कूल की नाक है। फिर क्या हुआ? स्कूल में किसी से झगड़ा तो नहीं...।'

रिंकी ने सुबकते हुए कहा- 'इस बार शीला कक्षा में प्रथम आई है। मेरा दूसरा स्थान है। गणित में मुझे 72 अंक मिले हैं, जबकि मैंने सारे सवाल ठीक-ठीक हल किए थे। नम्बर कम कैसे हो गए?'

अकलू ने रिंकी के आंसू पोंछे। फिर हंसकर बोला- 'बस, इतनी-सी बात है। मैं तो पढ़ा-लिखा नहीं हूं बेटी। अधिक नहीं

जानता। हो सकता है इस बार कहीं कुछ कमी रह गई हो। शीला ने तुमसे भी अधिक मेहनत की हो। कोई जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हीं प्रथम आओ। तुम मेरी तरफ से हेडमास्साब को एक दरख्वास्त लिखो। मैं कल उनसे बात करके देखता हूं। तुम भी साथ चलना।'

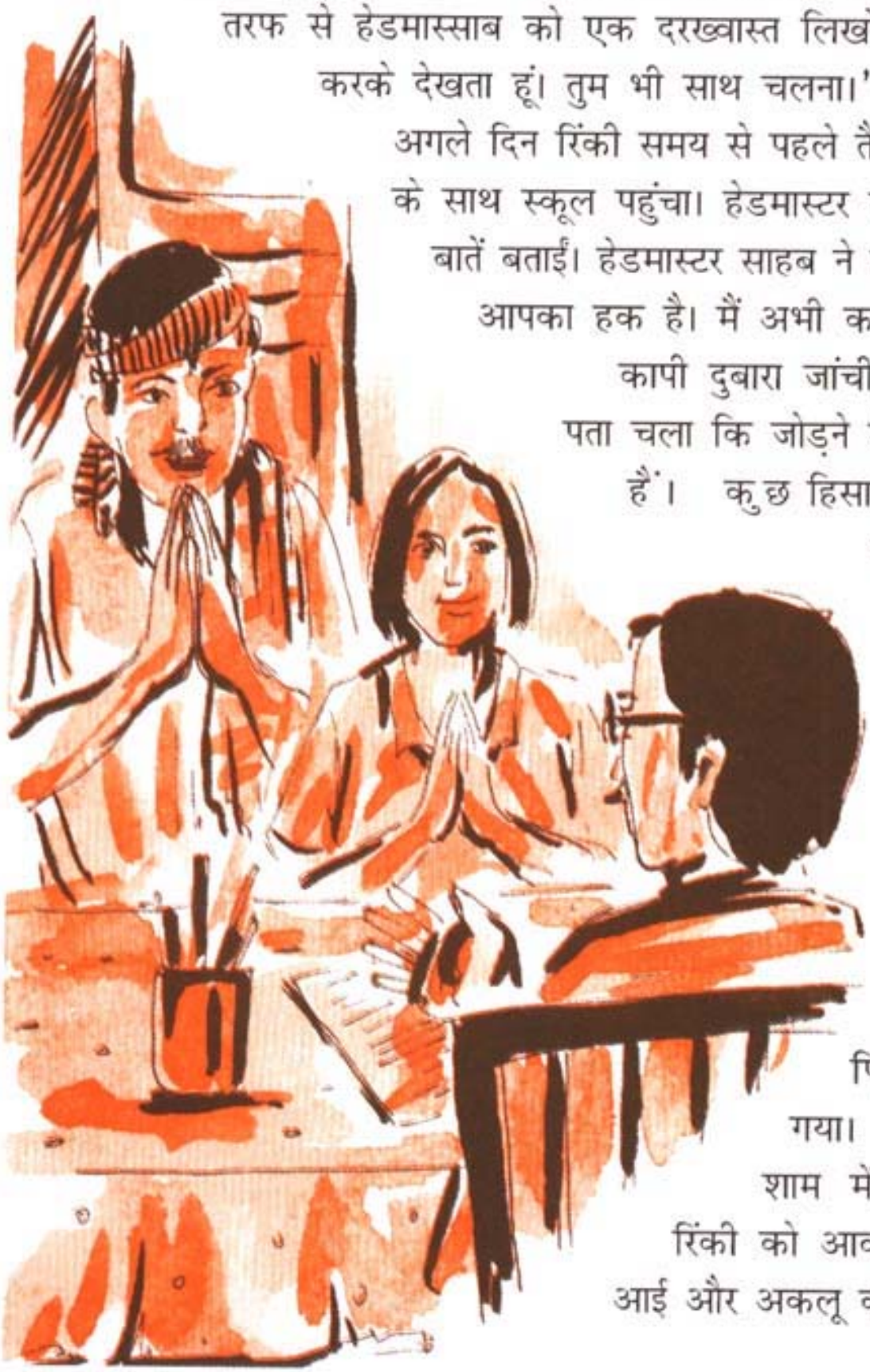

अगले दिन रिंकी समय से पहले तैयार थी। अकलू रिंकी के साथ स्कूल पहुंचा। हेडमास्टर साहब से मिला। सारी बातें बताईं। हेडमास्टर साहब ने कहा- 'यह जानना तो आपका हक है। मैं अभी कापी मंगवाता हूं।'

कापी दुबारा जांची गई। जांच करने पर पता चला कि जोड़ने में कुछ अंक छूट गए हैं। कुछ हिसाब गलत भी थे। फिर भी दुबारा जोड़ने पर रिंकी के गणित में कुल 92 अंक हुए। कुल 20 अंक का अंतर था। अब रिंकी कक्षा में फिर प्रथम थी। अकलू ने हेडमास्टर साहब को धन्यवाद दिया। फिर काम पर चला गया।

शाम में अकलू घर लौटा। रिंकी को आवाज दी। वह दौड़कर आई और अकलू के गले से लिपट गई।

अभ्यास

1. रिंकी क्यों गुमसुम बैठी थी?
2. हेडमास्टर साहब ने अकलू से क्या कहा?
3. रिंकी को गणित में कम अंक क्यों आए थे?
4. कापी दुबारा जांच करने पर कुल कितने अंकों का अंतर था?
5. अगर कापी दुबारा नहीं देखी जाती तो क्या होता?
6. अगर तुम्हें भी कभी यह लगे कि कम अंक आए हैं, तो तुम क्या करोगे?
7. क्या तुम्हारे स्कूल में रिंकी जैसा कोई मामला हुआ है?
8. क्या तुम किसी बात को लेकर अपने हेडमास्टर के पास गए हो?
9. किन-किन बातों को लेकर हेडमास्टर के पास जाना चाहिए?
10. एक छात्र के क्या-क्या अधिकार होते हैं? अपने साथियों से चर्चा करो और सूची बनाओ।

दो समाचार

मंदिर के पुजारी ने छात्राओं को स्कूल जाने से रोका

मंदिर के एक पुजारी ने विद्यालय में ताला जड़ छात्राओं को पढ़ने से रोक दिया है। यह मामला जिले के कन्या विद्यालय का है। ग्रामीणों ने बताया कि एक दबंग साधु ने उक्त विद्यालय में दो माह से ताला जड़ दिया है। विद्यालय में ताला जड़ने से आलम यह है कि छात्राएं कभी पेड़ के नीचे तो कभी गलियों में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। साधु की दबंगता से ग्रामीण विरोध करने से कतरा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कुछ शरारती तत्वों द्वारा साधु को बल मिल रहा है। जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर पर स्थित इस विद्यालय के हाल से अधिकारी अनजान बने हैं, जबकि विद्यालय के शिक्षक एवं स्थानीय मुखिया कमलेश पासवान ने बताया कि इस संबंध में थानाध्यक्ष एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को सूचना दी गई है। बावजूद इसके किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे विद्यालय की छात्राएं खुले आसमान के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। कारीसाथ के सरपंच अजय कुमार गांधी ने भी विद्यालय को साधु द्वारा बंद करने की घटना को सत्य बताया है।

(हिन्दुस्तान, पटना, 15 सितम्बर, 2007)

पूर्णिया में भटकती मिलीं लड़कियां

वापस भेजी गईं, मामले से अनभिज्ञ श्रम व पुलिस विभाग

जहां एक तरफ सरकार बाल श्रम कानून का कड़ाई से पालन करने का राग अलापती है, वहीं दूसरी ओर सरकारी दावों को धत्ता बताते हुए होटलों, चाय की दुकानों व बस स्टैंड के आसपास नन्हे-मुन्नों के हाथ जूठे बर्तन साफ करते आसानी से दिखलाई पड़ते हैं। इससे इतर पूर्णिया प्रमंडल में चल रहे ईंट-भट्ठों पर काम कराने के लिए बाहर से बाल मजदूरों को लाया जाता है। लेकिन पूर्णिया का श्रम विभाग व पुलिस इससे अनभिज्ञ है। रविवार को पूर्णिया के बस पड़ाव के समीप कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। बताया गया कि रांची से एक सप्ताह पूर्व कथित दलाल चार आदिवासी बच्चियों को बहला-फुसला कर पूर्णिया के एक ईंट-भट्ठा में काम कराने के लिए लाया। लेकिन कच्ची उम्र की बच्चियों के कार्य से असंतुष्ट भट्ठा मालिक ने उन्हें बगैर मजदूरी दिए ही भगा दिया। बस पड़ाव के आसपास मंडराती इन बच्चियों को देख कुछ लोगों ने उनसे पूछताछ की। प्यार भरे शब्द सुनते ही बच्चियां फूट-फूट कर रो पड़ीं। सभी लड़कियों की उम्र दस वर्ष के अंदर थी, जिनके नाम सोमारी, गुईदरी, चमरी व फूलो हैं। बच्चियों ने सबों को आपबीती सुनाई। जिसे सुनकर सब सन्न रह गए। बच्चियों के अनुसार वे झारखंड के रांची जिले के गोविंदपुर मोहल्ले की रहनेवाली हैं। उन लड़कियों ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व एक दलाल गोविंदपुर आया व उनलोगों को पूर्णिया के कलियागंज स्थित ईंट-भट्ठा में काम दिलाने का झांसा देकर पूर्णिया ले आया था। **(दैनिक जागरण, पटना, 17 सितम्बर, 2007)**

अभ्यास

1. क्या पुजारी द्वारा विद्यालय में ताला जड़ना उचित है?
2. स्कूल बंद होने की घटना से छात्राओं का कौन-सा अधिकार बाधित होता है?
3. शिक्षा के अधिकार को क्यों मानवाधिकार की श्रेणी में रखा गया है?
4. बच्चों को विद्यालय आने से रोकना क्या उनके अधिकारों का हनन नहीं है?
5. क्या स्थानीय लोगों की भूमिका इस संदर्भ में सही है?
6. क्या दबंगों की मनमानी को सहना अपनी नियति मान लेनी चाहिए?
7. हमें हमारा हक मिले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
8. क्या बच्चों से मजदूरी कराना उचित है?
9. वे कौन-सी परिस्थितियां हैं जो बच्चों को मजदूरी के लिए विवश करती हैं?
10. कहां-कहां बाल मजदूर काम करते दिखाई देते हैं?
11. बाल मजदूर किनके द्वारा लाए जाते हैं?
12. पूर्णिया में भटकती मिलीं लड़कियों से संबंधित समाचार पढ़कर आपको क्या महसूस होता है?
13. क्या इन दोनों समाचारों का आपस में कोई संबंध है?
14. बालश्रम और शिक्षा के अधिकार में क्या संबंध है?
15. बाल श्रमिकों के संबंध में सरकार और समाज की क्या जवाबदेही है?

हक

मध्य विद्यालय की परीक्षा का परिणाम आया। शेखर अपनी कक्षा में अव्वल था। वह खुशी से झूम उठा। घर आकर बताया तो सबके सिर गर्व से ऊंचे हो गए।

लेकिन उसकी खुशी जल्द ही गायब हो गई। मालूम हुआ कि उसका नाम विष्णुपुर उच्च विद्यालय में लिखाया जाएगा। भैया वहीं से पढ़े थे।

'मां, मैं विष्णुपुर नहीं पढ़ूंगा। भैया से कहो, मेरा नामांकन देव करा दें।' उसने मां से ठुनककर कहा।

बात भैया तक पहुंची। वे लगे शेखर से पूछने। 'आखिर विष्णुपुर विद्यालय में क्या दिक्कत है? नजदीक है। शिक्षक जाने-पहचाने हैं। हर तरह से मदद करेंगे।'

'नहीं, वहां पढ़ाई अच्छी नहीं होती। मैं साल भर से पता कर रहा हूं। वहां शिक्षक कम हैं। प्रयोगशाला नहीं है। मैं आगे विज्ञान पढ़ना चाहता हूं।' उसने सहमी आवाज में कहा।

'देव छः किलोमीटर है। जाओगे कैसे?'

'पैदल जाऊंगा। आखिर और लोग जाते हैं कि नहीं?' शेखर ने जिद की।

तभी जगदीश बाबा आ गए। पड़ोसी थे। 'क्या हुआ बेटा?' उन्होंने भैया से पूछा।

'नाम लिखाना है। कहता है, विष्णुपुर नहीं पढ़ेगा। देव पढ़ेगा।'

'आजकल के लड़कों का यही हाल है। हमेशा अपने मन की करेंगे।' जगदीश बाबा बरस पड़े। 'एक हमलोग थे कि मां-बाप के सामने जबान तक न हिलाते थे।' शेखर ने गुस्से से मुंह फेर लिया। थोड़ी देर बाद वह उठकर आंगन में आ गया।

दो दिनों के रोने-धोने और भूख हड़ताल के बाद शेखर का नामांकन अंततः देव उच्च विद्यालय में कराया गया। लेकिन भैया कई दिनों तक नाराज रहे। पड़ोसियों ने भी भला-बुरा कहा। हालांकि उसे उनकी नाराजगी की वजह समझ में नहीं आई। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपना भविष्य तय करने का हक उसे क्यों नहीं है।

अभ्यास

1. शेखर ने देव में ही पढ़ने की बात क्यों की?
2. क्या तुमलोगों में से किसी ने कभी शेखर की तरह बात की है?
3. अपने माता-पिता से तुम कौन-कौन-सी मांग करते हो?
4. मांग नहीं पूरी करने पर तुम्हें कैसा लगता है?
5. क्या बच्चों को जिद करनी चाहिए?
6. क्या बच्चों की हर जिद सही होती है?
7. क्या बड़े बच्चों के दुश्मन हैं?
8. क्या बड़े बच्चों की मन की बात नहीं समझते?
9. बड़े लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि वह भी कभी बच्चे थे?
10. क्या आज के बच्चे कल बड़े होकर ऐसा ही करेंगे?

भाग - 3

समता–समानता

- यह कैसी आजादी? (लैंगिक समानता का अधिकार)
- तीन आवाजें (बालिका शिक्षा का अधिकार)
- मन का मीत (छुआछूत के खिलाफ अधिकार)
- बस की सीट (आर्थिक भेदभाव के खिलाफ अधिकार)

यह कैसी आजादी?

स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा था। स्कूल में प्रधानाध्यापक ने झंडा फहराया। इसके बाद उन्होंने सबको संबोधित किया। उन्होंने देश की आजादी के लिए शहीद हुए महान लोगों के बारे में बताया। भगत सिंह, गांधीजी, सुभाषचन्द्र बोस के साथ-साथ महारानी लक्ष्मी बाई और उनकी सखी झलकारी बाई की वीरता के बारे में बताया। सारे बच्चों ने खूब तालियां बजाईं। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित था।

कई छात्र-छात्राओं ने देशभक्तिपूर्ण गीत, भाषण आदि प्रस्तुत किए। सबने काफी तैयारी की थी। खूब तालियां व प्रशंसा बटोरी।

मीना सबसे पीछे सकुचाई-सी खड़ी थी। बजरंगी मास्टर ने उसे देखा। उसे भी गाने को कहा। मीना ने कहा – 'मुझे ऐसा गाना नहीं आता।' मास्टर साहब ने कहा – 'जो आता है, वही गाओ।' मीना का नाम पुकारा गया।

मीना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए गाना शुरू किया ...

काहे कईल ए बाबूजी दुरंगी नीतिया
जेही कोखी बेटा जनमल ओही कोखी बेटिया
दूरंगी नीतिया, काहे कईल ए बाबूजी दुरंगी नीतिया
बेटा के जनमला पर सोहर-बधइया, हमार बेरिया
काहे मातम मनवल हमार बेरिया
काहे कइल ए बाबूजी, दुरंगी नीतिया
बेटा के खेलावे खातिर लइल मोटरगाड़िया
हमार बेरिया, काहे झड़ुआ धरवल, हमार बेरिया
काहे कइल ए बाबूजी, दुरंगी नीतिया
बेटा के पढ़ावे खातिर भेजल स्कूलवा
हमार बेरिया काहे बर्तन मंजवल, हमार बेरिया
काहे कइल ए बाबूजी दुरंगी नीतिया
बेटा के बियहवा में बांधल पगड़िया
हमार बेरिया, काहे सिरवा झुकवल, हमार बेरिया
काहे कइल ए बाबूजी दुरंगी नीतिया
जेही कोखी बेटा जनमल ओही कोखी बेटिया
दुरंगी नीतिया
काहे कइल ए बाबूजी दुरंगी नीतिया .....

मीना गीत गा रही थी। सब शांत होकर सुन रहे थे। स्कूल की चहारदिवारी पर कुछ बच्चे बैठे थे। उसमें कई ऐसी लड़कियां भी थीं जो स्कूल में नहीं पढ़ती थीं। गीत समाप्त होने पर सबसे ज्यादा तालियां उन्होंने ही बजाईं।

अभ्यास

1. स्वतंत्रता क्या है?
2. हमारे देश को स्वतंत्र कराने में किन-किन लोगों का योगदान रहा है?
3. महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में तुम क्या जानते हो?
4. झलकारी बाई के बारे में तुम क्या जानते हो?
6. मीना का गाया गीत 'दुरंगी नीतिया' तुम्हें कैसा लगा?
7. मीना के गीत में कौन-कौन-से सवाल उठाए गए हैं?
8. क्या ऐसी स्थिति तुम्हारे आसपास भी दिखाई देती है?
9. बेटा-बेटी में भेदभाव उचित है? क्यों?
10. चहारदिवारी पर बैठी लड़कियों ने सबसे ज्यादा तालियां क्यों बजाईं?
11. अगर लड़कियों को सही अवसर मिलें तो क्या होगा?

तीन आवाजें

पहली आवाज – 'खेलने जाऊं?'
दूसरी आवाज – 'नहीं।'
पहली आवाज – 'मैं यह किताब पढ़ लूं?'
दूसरी आवाज – 'नहीं, नहीं।'
पहली आवाज – 'मैं यह कपड़ा पहन लूं?'
दूसरी आवाज – 'बिल्कुल नहीं।'
पहली आवाज – 'मैं किसी से कुछ बात कर लूं?'
दूसरी आवाज – 'नहीं, हरगिज नहीं।'
पहली आवाज – 'मैं साइकिल चला लूं?'
दूसरी आवाज – 'कभी नहीं।'
पहली आवाज – 'भूख लगी है, खा लूं?'
दूसरी आवाज – 'अभी नहीं।'
पहली आवाज – 'बाहर जाऊं?'
दूसरी आवाज – 'नहीं, नहीं, नहीं।'

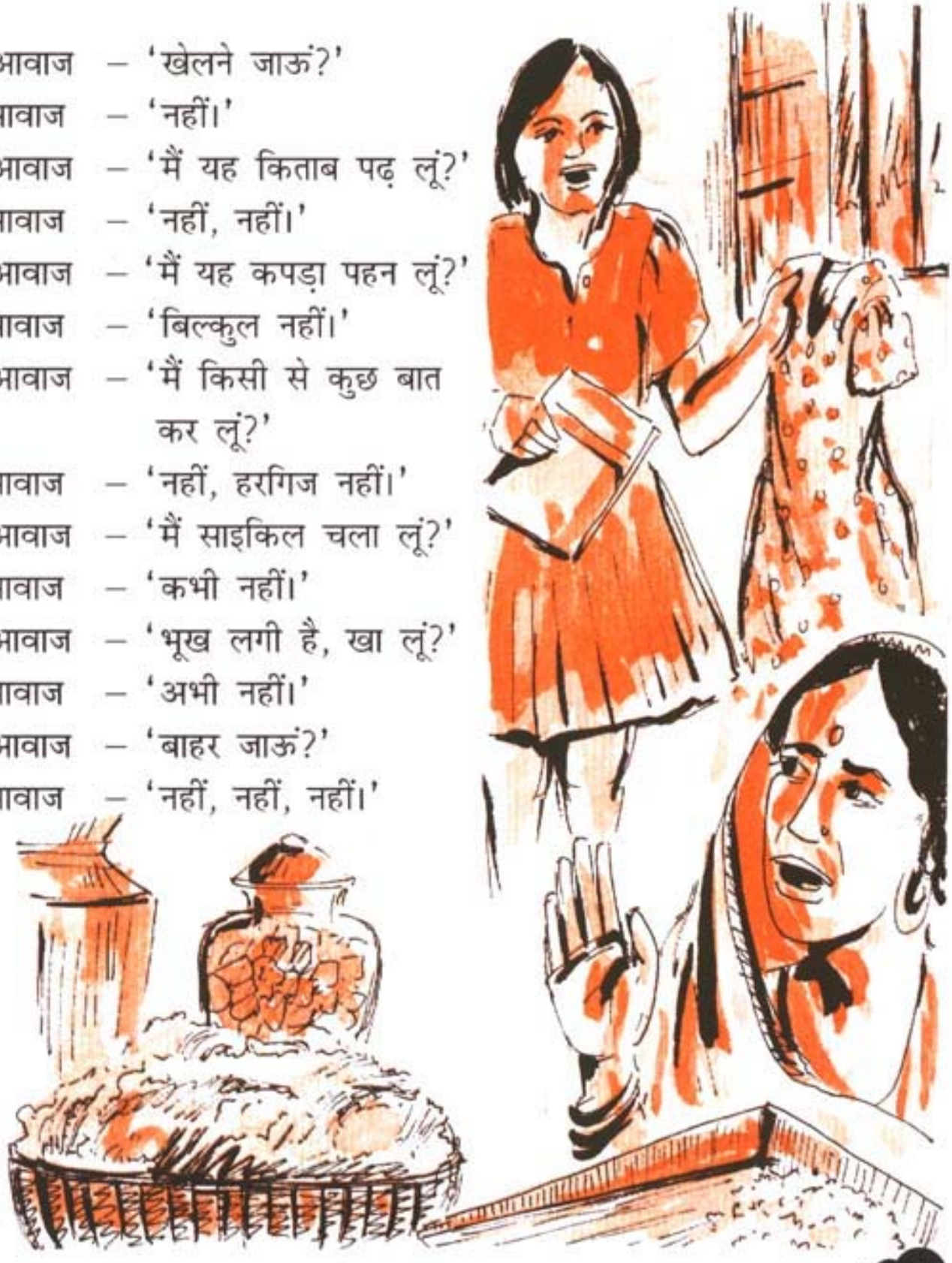

तीसरी आवाज – 'मुझे खेलने जाना है?'

दूसरी आवाज – 'जरूर जाओ, खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है।'

तीसरी आवाज – 'मुझे दोस्तों से गप-शप करनी है।'

दूसरी आवाज – 'जरूर करो, तुम्हें ही दुनिया-समाज में उठना-बैठना है।'

तीसरी आवाज – 'भूख लगी है।'

दूसरी आवाज – 'जब भूख लगे तब तुरंत खाना खा लो। खाओगे तभी तो बुलंद रहोगे।'

क्या आपने इन आवाजों को सुना?

पहली आवाज किसकी है?

दूसरी आवाज किसकी है?

तीसरी आवाज किसकी है?

अब बताइए :

- क्या बेटी के प्रश्न गलत थे?
- मां ने बेटे को ऐसे जवाब क्यों दिए?
- क्या लड़की को पढ़ने का अधिकार नहीं है?

अभ्यास

1.(अ) क्या तुम्हारे माता-पिता का व्यवहार बेटे-बेटियों के साथ समान है? किन-किन बातों में उनका व्यवहार समान है और किन-किन बातों में पक्षपात दिखाया जाता है।

समान व्यवहार वाली बातें	पक्षपात वाली बातें
1.	1. .....
2.	2. .....
3.	3. .....
4.	4. .....
5.	5. .....

(आ) समान व्यवहार से तुम्हारे मन में उठने वाले भाव और पक्षपात दिखाए जाने पर उठने वाले भावों पर प्रकाश डालें।

समान व्यवहार से उठने वाले भाव	पक्षपात से उठने वाले भाव
1.	1. .....
2.	2. .....
3.	3. .....
4.	4. .....
5.	5. .....

मन का मीत

मदन ने चौथी कक्षा पास कर ली। पांचवें में उसका नाम नए स्कूल में लिखाया गया। स्कूल अच्छा था। जल्द ही कई लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई। लेकिन सबसे पक्की दोस्ती सुरेश से थी। वह क्लास का सबसे तेज लड़का था। किसी सवाल का जवाब खट से देता था। मदन उसके पास ही बैठने लगा। टिफिन में भी दोनों साथ-साथ ही रहते। कई लड़के उनका मजाक भी उड़ाते। दोनों किसी पर ध्यान नहीं देते थे।

एक दिन छुट्टी के बाद मदन ने सुरेश का हाथ पकड़ लिया। कहा- 'आज मेरे साथ घर चलो। मां-बाबूजी से मिलाऊंगा।' सुरेश तैयार हो गया। घर पहुंच कर मदन ने उसे मां से मिलाया। मां ने उसे खाने को चूड़ा-गुड़ दिया। इसी बीच मदन के बाबूजी भी आ गए। मदन ने उसे उनसे भी मिलाया। बाबूजी ने पूछा- 'क्या नाम बताया।' 'सुरेश' उसने कहा। 'पूरा नाम

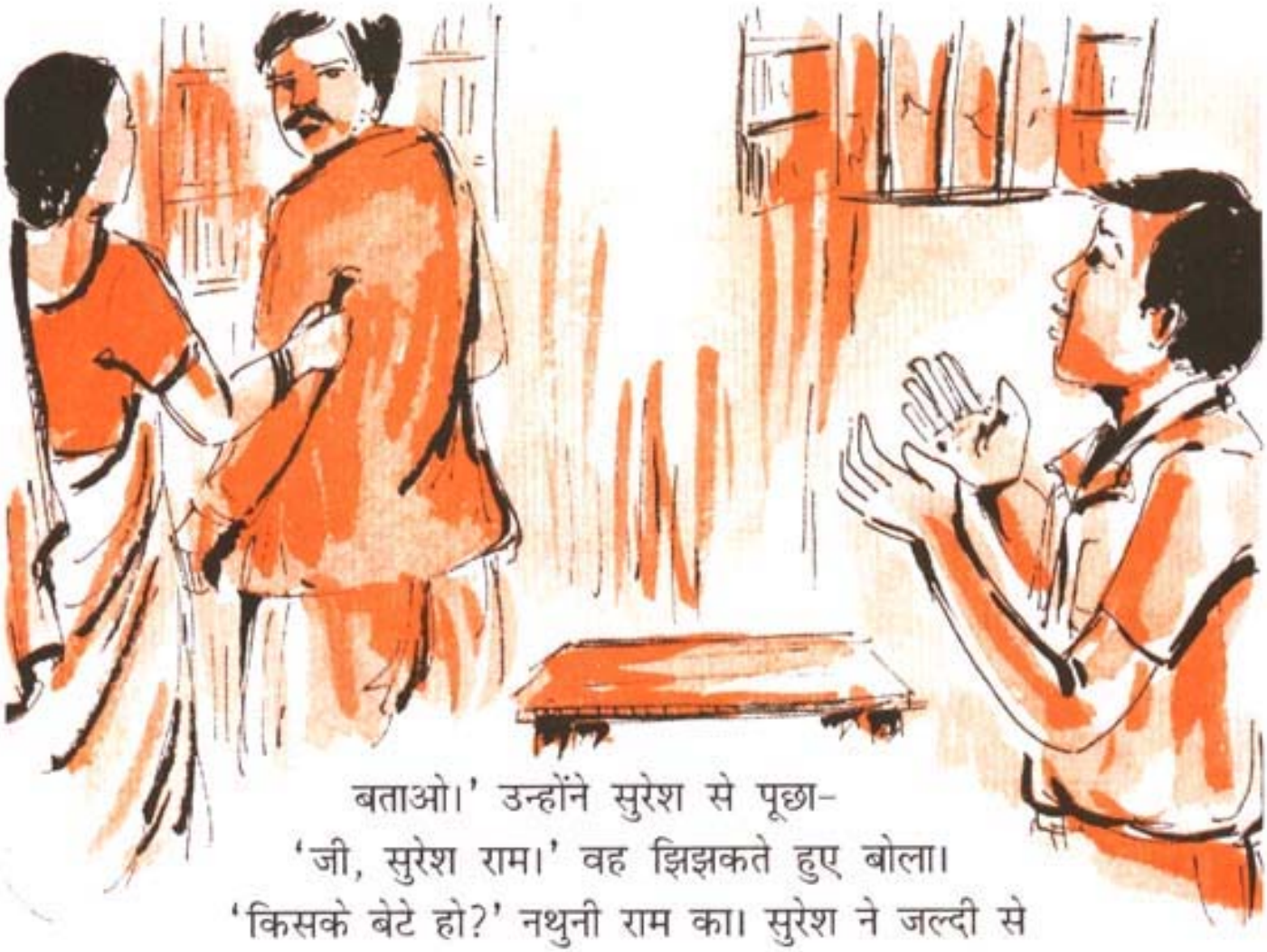

बताओ।' उन्होंने सुरेश से पूछा-

'जी, सुरेश राम।' वह झिझकते हुए बोला।

'किसके बेटे हो?' नथुनी राम का। सुरेश ने जल्दी से कहा।

बाबूजी उस समय तो चुप रहे। लेकिन सुरेश के जाते ही बहुत बिगड़े। कहा- 'इसके साथ मत रहा करो।'

मदन ने कहा- 'क्यों न रहूं। यह क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। सबसे तेज है। यही फर्स्ट करता है।'

'इससे क्या हुआ। है तो नीची जाति का। बाबूजी गरजे।'

'आप चाहते हैं मैं आवारा लड़कों के साथ रहूं?'

बाबूजी ने कोई जवाब न दिया।

मां बाबूजी का हाथ पकड़कर कमरे के बाहर ले गई।

अभ्यास

1. मदन और सुरेश में दोस्ती क्यों हुई?
2. दूसरे लड़के उनका मजाक क्यों उड़ाते थे?
3. मदन और सुरेश की दोस्ती पर बाबूजी को क्यों एतराज था?
4. मदन के बाबूजी ने सुरेश का पूरा नाम क्यों पूछा?
5. क्या दोस्ती जाति के आधार पर करनी चाहिए?
6. क्या हर एक को अपनी पसंद का दोस्त बनाने का अधिकार है?
7. क्या बाबूजी का ऐसा सोचना सही था?
8. मदन की जगह तुम होते तो क्या करते?
9. पूरा नाम बताते समय सुरेश क्यों झिझका?
10. मदन द्वारा आवारा लड़कों के साथ रहने के सवाल पर बाबूजी ने क्यों कोई जवाब नहीं दिया?

बस की सीट

रामपुर बस पड़ाव पर जब बस पहुंची तो पहले से ही भरी हुई थी। यहां से भी दर्जनो यात्री चढ़े। अब बस बिल्कुल भर चुकी थी। सीट पर बैठे लोगों से ज्यादा खड़े थे।

बस चल पड़ी। धीरे-धीरे खड़खड़ाती हुई बस हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रही थी। खराब सड़क, बस की धीमी गति, गर्मी, यात्रियों की चर्चा के यही विषय थे। खराब सड़क की वजह से बसें भी कम चल रही थीं।

अचानक एक व्यक्ति चिल्लाया- 'गाड़ी रोको, ए ड्राइवर गाड़ी रोको।' ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोक दी, पूछा- 'क्या हुआ?'

'अरे जरा रुको, देखते नहीं सड़क किनारे ठेकेदार बनवारी प्रसाद खड़े हैं। लगता है उनकी गाड़ी खराब हो गई है,' कहते हुए वह व्यक्ति नीचे उतरकर ठेकेदार के पास पहुंचा।

ठेकेदार बनवारी प्रसाद इलाके के धनवान लोगों में एक थे। बड़े-बड़े ठेके लेते थे। उनकी पहुंच ऊपर तक थी। उनका शहर पहुंचना जरूरी था लेकिन कार ने बीच

रास्ते में धोखा दे दिया था। वे चिंतित खड़े थे।

उस व्यक्ति ने उन्हें बस में बैठने का आग्रह किया। वे बस में सवार हो गए। उस व्यक्ति ने सीट पर बैठे एक यात्री से कहा- 'चलो सीट छोड़ो।'

- 'क्यों?' यात्री ने पूछा
- 'देखते नहीं ठेकेदार साहब खड़े हैं?'
- 'खड़े हैं तो क्या हुआ, और लोग भी तो खड़े हैं।'
- 'और लोग और ठेकेदार साहब में अंतर है, इतना भी नहीं समझते।'
-'समझता हूं लेकिन मैंने बस का किराया दिया है। सीट पर बैठने का हमारा

हक है। अब ठेकेदार साहब के लिए कोई सीट खाली नहीं है, तो मैं क्या करूं।'

कई यात्रियों ने भी उससे सहमति जताई। अमीर हो या गरीब सब बराबर है। कोई गरीब है इसलिए उसे किसी अमीर के लिए सीट से उठाया नहीं जा सकता। मगर कोई खुलकर बोल नहीं पा रहा था। आखिर वही हुआ जो अक्सर होता है। कंडक्टर ने उसे जबरदस्ती सीट से उठा दिया।

ठेकेदार बनवारी प्रसाद बेशर्मी से हंसते हुए उस सीट पर बैठ गए। बस के सारे यात्री चुप थे। मगर उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं।

अभ्यास

1. बस में अधिक भीड़ क्यों थी?
2. ड्राइवर ने गाड़ी क्यों रोक दी?
3. ठेकेदार को बैठाने के लिए उस व्यक्ति ने क्या किया?
4. सीट पर बैठे व्यक्ति ने क्या जवाब दिया?
5. क्या उस यात्री को सीट छोड़ देनी चाहिए थी?
6. क्या सीट पर से किसी यात्री को जबरदस्ती उठा देना उचित है?
7. टिकट लेने वाले को सीट पर बैठने का अधिकार है। तुम्हारी राय क्या है?
8. किसके लिए सीट छोड़ी जा सकती है?
9. क्या कोई बूढ़े और लाचार के लिए अपनी सीट छोड़ता है?
10. यात्रियों की आंखें क्या कह रही थीं?

भाग - 4

मान-सम्मान

- पिंकी की परेशानी (सम्मान पाने का अधिकार)
- इज्जत की रोटी (काम के सम्मान का अधिकार)
- छुटकारा (सम्मान के साथ जीने का अधिकार)
- अपमान (अपमानित न किये जाने का अधिकार)

पिंकी की परेशानी

पटना में एक बहुत पुराना मुहल्ला है–यारपुर। यहां दलित परिवारों की संख्या करीब 1000 होगी। इनमें ज्यादातर डोम एवं मेहतर जाति के लोग हैं। अधिकांश लोग सफाई कर्मचारी हैं। अनेक लोग पटना नगर निगम तथा सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं। एक बड़ी आबादी निजी कोठियों में सेवा देती है। दफ्तरों और घरों में शौचालय की साफ-सफाई का काम करती है। महिलाएं और बच्चे कबाड़ चुनते-बेचते हैं।

इस मोहल्ले में करीब आधा दर्जन सरकारी स्कूल हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए यह स्कूल चलते

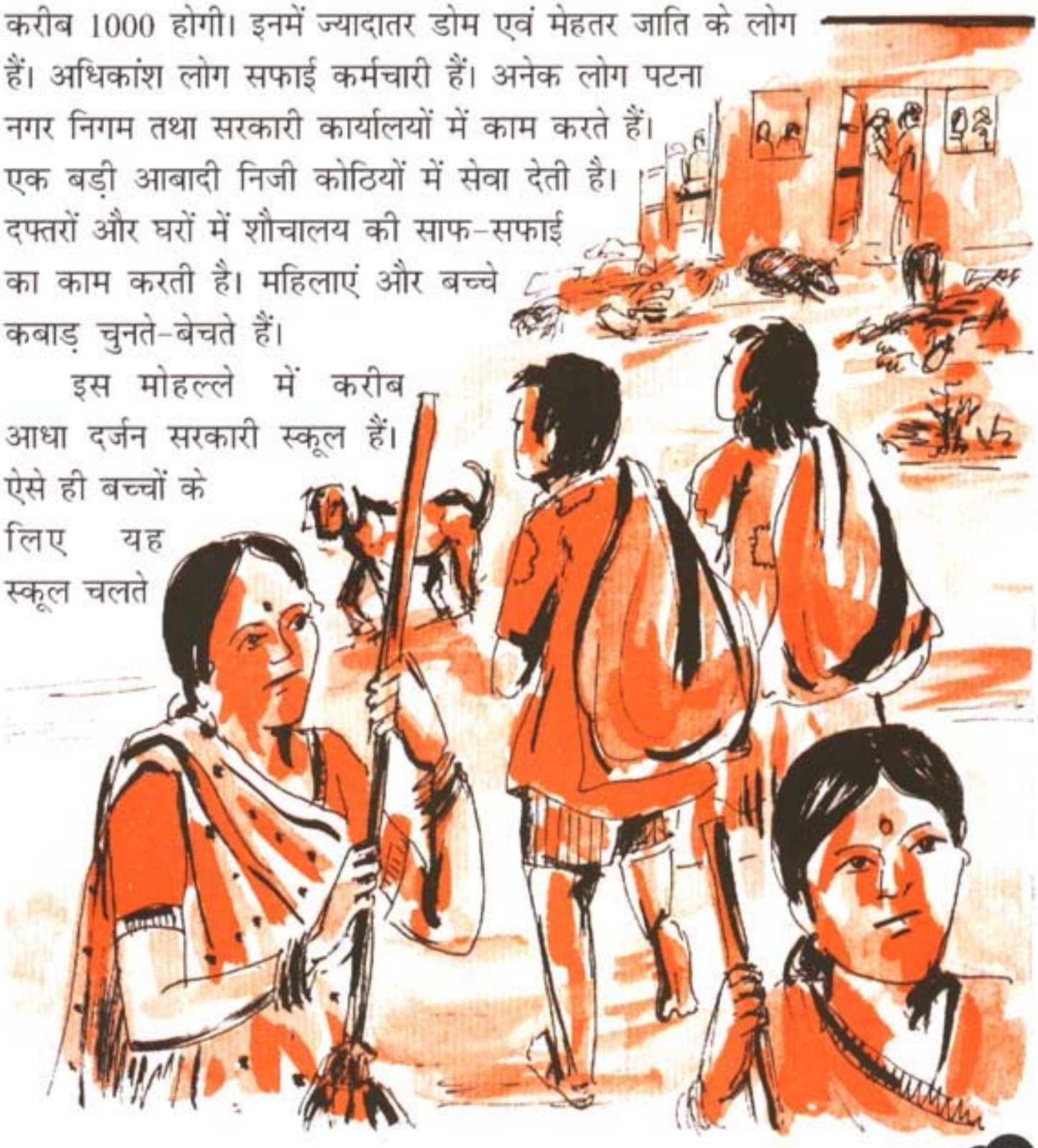

हैं। इनमें एक स्कूल पटना नगर निगम द्वारा चलाया जाता है। स्कूल के सभी शिक्षक गैर दलित हैं। पिंकी इसी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ती है। उसके परिवार के लोग कभी सिर पर मैला ढोने का काम करते थे। सरकार ने यह बुरी प्रथा बंद करा दी है। यह मानव की गरिमा के खिलाफ है। अब उसके माता-पिता निजी कोठियों में शौचालयों की साफ-सफाई का काम करते हैं। पिंकी पर बीते समय की इस अमानवीय प्रथा की छाया तक नहीं है। लेकिन उस नादान को भी मालूम है कि शिक्षक अपने साथ पानी की बोतलें क्यों लाते हैं। इसलिए कि यहां के बच्चों से मंगाकर पानी पीने से उन्हें परहेज है।

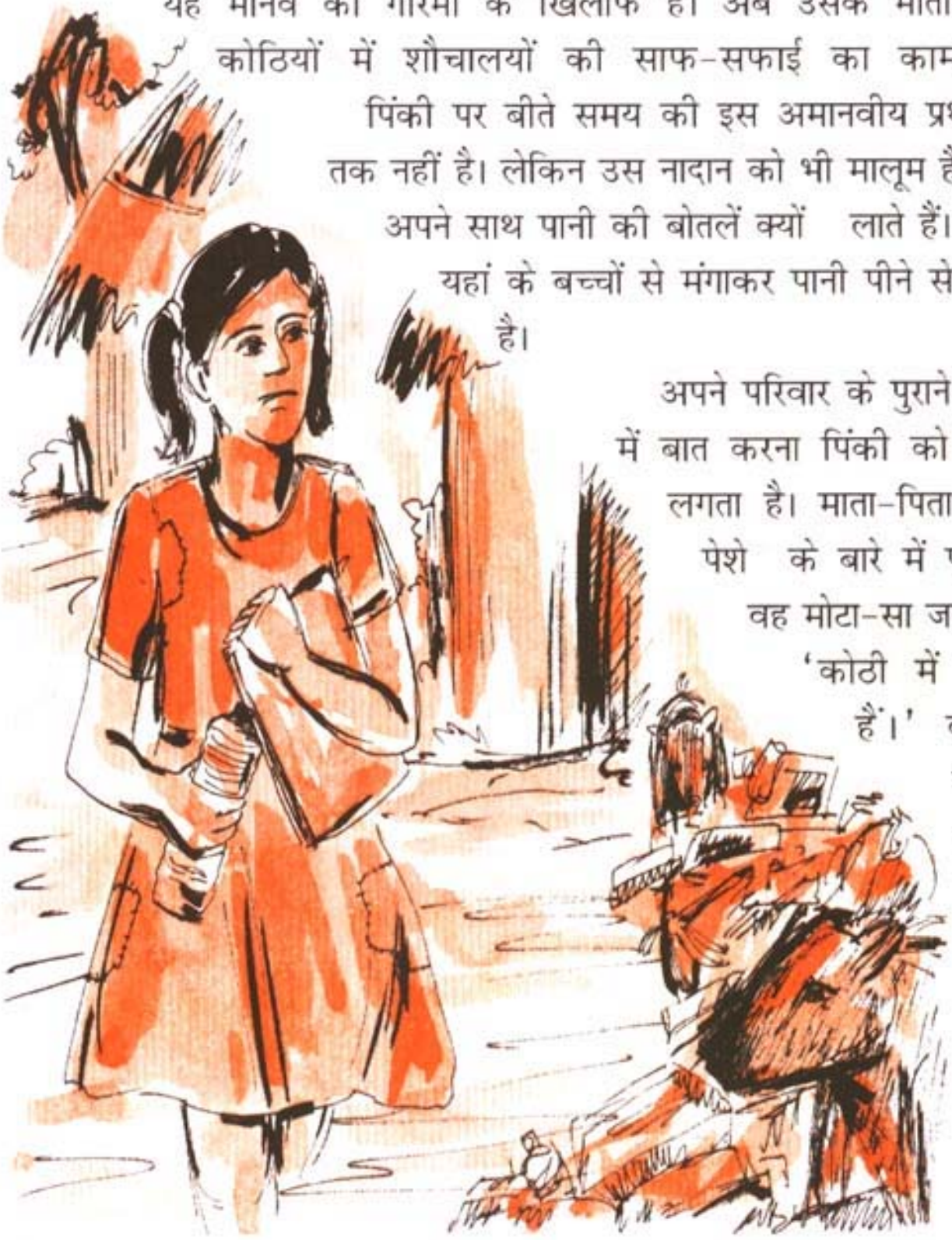

अपने परिवार के पुराने पेशे के बारे में बात करना पिंकी को अच्छा नहीं लगता है। माता-पिता के वर्तमान पेशे के बारे में पूछे जाने पर वह मोटा-सा जवाब देती है- 'कोठी में काम करते हैं।' वहां उनके माता-पिता क्या काम करते हैं? पिंकी इस पर जान-बूझकर अनजान बनी रहना चाहती है।

अभ्यास

1. सरकार ने सिर पर मैला ढोने की प्रथा क्यों बंद करा दी?
2. बच्चों से पानी मंगाकर पीने से शिक्षक को क्यों परहेज है?
3. क्या किसी के बोतल या लोटा छू देने से पानी गंदा हो जाता है?
4. गांव में अन्य जातीय पेशे क्या हैं? क्या इन्हें भी हेय दृष्टि से देखा जाता है?
5. क्या काम भी छोटे-बड़े होते हैं?
6. क्या छोटे समझे जाने वाले कामों का कोई महत्व नहीं है?
7. साफ-सफाई का काम करने वाला कोई न हो तो क्या होगा?
8. गलत काम करके पैसे कमाना अच्छा है या मेहनत करके?
9. क्या जातीय पेशागत काम को हेय दृष्टि से देखना उस काम तथा उस काम में लगे लोगों की गरिमा का अपमान नहीं है?
10. पिंकी अनजान बने रहना क्यों चाहती है?

इज्जत की रोटी

पालिश करनेवाला दीपू एक आदमी से बात कर रहा है। एक सज्जन ध्यान से देख रहे हैं।
साहब मेरे पूरे पैसे तो दीजिए।
दो रुपया दे तो दिया
पांच रुपये की जगह दो रुपये?
दो ही रुपये का तो काम किया है पालिश घटिया लगाए हो।
देखिए एक नम्बर पालिश है।
दे दीजिए न भाई साहब
जो दे दिया सो दे दिया
कहते हुए पांच रुपये का एक सिक्का पुल से नीचे नदी में फेंका और हाथ जोड़कर प्रणाम किया

सुनो, मेरा जूता पालिश कर दो
लाइए साहब
वाह! तुमने तो जूते को चमका दिया
नहीं साहब, मैं पांच रुपये ही लूंगा। यही मेरी मजदूरी है।
यह लो दस रुपये
दीपू ने पांच रुपये लौटा दिए। सब लोग उसे प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे।
समाप्त

अभ्यास

1. वह सज्जन दीपू को बेईमान क्यों ठहरा रहे थे?
2. क्या दीपू ने सचमुच बेईमानी की थी?
3. दीपू को पांच रुपये के स्थान पर दो रुपये मजदूरी देना उचित है?
4. क्या मजदूरी काटकर पांच रुपए नदी में फेंकना ठीक है?
5. दूसरे व्यक्ति ने पांच रुपये के स्थान पर दस रुपये क्यों दिए?
6. दीपू ने दूसरे सज्जन को पांच रुपये क्यों वापस कर दिए?
7. रुपये वापस करते समय दीपू के चेहरे की चमक क्या संदेश देती है?
8. दीपू के इस व्यवहार ने दूसरे सज्जन पर क्या छाप छोड़ी?
9. इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है?
10. अपने जीवन से जुड़ी कोई घटना बताओ जहां तुमने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की हो।

छुटकारा

मैं चाय की दुकान में बैठा था। चाय की चुस्की लेते हुए अखबार पढ़ रहा था। तभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मेरा ध्यान अखबार से हट गया। देखा कि चायवाला एक बच्चे को बुरी तरह पीट रहा था। बच्चे की उम्र करीब दस साल की थी।

मुझसे रहा न गया। मैंने बच्चे को छुड़ाते हुए चाय वाले से कहा- 'क्यों इतना पीट रहे हो?' चाय वाले ने थोड़ा संभलते हुए कहा- 'पीटें नहीं तो क्या करें साहब। आप जानते नहीं हैं। यह मेरे यहां काम करता है। एक नम्बर का कामचोर है। जरा-सा मौका मिला कि खेलने भाग जाता है।'

बच्चा सटककर मेरे पीछे खड़ा हो गया था। मैंने चाय वाले से पूछा- 'क्या इसके मां-बाप नहीं हैं?'

चाय वाले ने कहा- 'बाप को मरे तीन साल हो गए। मां है जो दूसरों के घरों में चौका-बरतन करती है। और इसे मेरे यहां दो साल से छोड़ रखा है, मुफ्त में खाने के लिए।'

'अभी तो इसके पढ़ने-लिखने की उम्र है,' मैंने कहा ही था कि चाय वाला बिफर गया- 'आप उपदेश मत दीजिए। ऐसे कितने

बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं।'

'लेकिन ऐसे मार नहीं खाते होंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चों को पढ़ने का अधिकार है।'

चाय वाले ने तपाक से कहा- 'तो आप ही रख लीजिए इसे।'

मैं चुप हो गया। लेकिन मन में ठान लिया कि इसकी मां से मिलूंगा। जल्द ही मैं बच्चे के साथ उसकी मां से मिला। बच्चे की मां ने अपनी किस्मत को कोसते हुए अपनी गरीबी की दुहाई दी। मैंने उसे समझाया। बताया कि सरकार 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देती है। किताब भी मुफ्त में मिलती है। आप इसे स्कूल अवश्य भेजिए। नहीं तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा।

मां ने हाथ जोड़कर कहा- 'हमको इन सब बातों की जानकारी नहीं थी। आप यदि सहयोग करें तो मैं कल से ही इसे स्कूल भेजूंगी।'

बच्चे का चेहरा खिल उठा। उसने चहकते हुए मां से कहा- 'मां मैं वहां बच्चों के साथ खूब खेलूंगा।'

मां ने हंसते हुए पूछा- 'और पढ़ाई?'

बच्चे ने कहा- 'खेल, पढ़ाई साथ-साथ।'

अभ्यास

1. बच्चा चाय की दुकान में क्या करता था?
2. चाय वाला बच्चे को क्यों पीट रहा था?
3. चाय की दुकान पर बैठे एक आदमी ने चाय वाले से क्या कहा?
4. क्या सबको पता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क पढ़ने की सुविधा प्राप्त है?
5. यदि मां को बच्चों के बढ़ने के अधिकार और नि:शुल्क शिक्षा की जानकारी होती तो क्या होता? क्या बच्चा तब भी चाय दुकान में काम करता?
6. क्या तुम अपनी उम्र के उन बच्चों को यह जानकारी दोगे जो स्कूल नहीं जाते?
7. ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है?
8. क्या तुम ऐसे बच्चों को जानते हो, जो काम करने के कारण स्कूल नहीं जा पाते? विस्तार से उसके बारे में कक्षा में बताओ।
9. क्या चाय वाले का व्यवहार बच्चे के प्रति मानवीय था?
10. बच्चों के स्कूल न जाने के और क्या-क्या कारण हैं?

अपमान

स्कूल के सबसे होशियार बच्चों में उसकी गिनती नहीं होती थी। हालांकि वह पढ़ाई के साथ-साथ खेल में भी आगे रहता था। खास कर कबड्डी में वह बहुत तेज था। उसका नाम था विजय। अपने नाम के मुताबिक हारना उसके स्वभाव में नहीं था।

शिक्षक उसकी प्रशंसा करते, परंतु सबके बीच नहीं। छात्र भी उससे कटे-कटे रहते। साथ रहते वही दो-चार लड़के जो अपने टोले के थे। लेकिन विजय का व्यवहार इतना मिलनसार था कि सब उससे किसी न किसी तरह जुड़ ही जाते। अपनी तो अपनी दूसरी कक्षा के छात्रों की भी वह पढ़ाई-लिखाई में मदद करता था।

तमाम खूबियों के बावजूद उसे वह प्रोत्साहन नहीं मिल पाता था जिसका वह हकदार था। इस कारण उसे यह महसूस होता कि उसी में कुछ कमी है।

धीरे-धीरे विजय के मन में एक हीन भावना घर करने लगी। अब उसका मन पढ़ाई और खेल से उचटने लगा। चेहरे की हंसी भी कभी-कभी ही दिखाई पड़ती।

एक दिन स्कूल में कबड्डी का खेल चल रहा था। विजय का दल दूसरे दल पर भारी पड़ रहा था। दो बार हारने

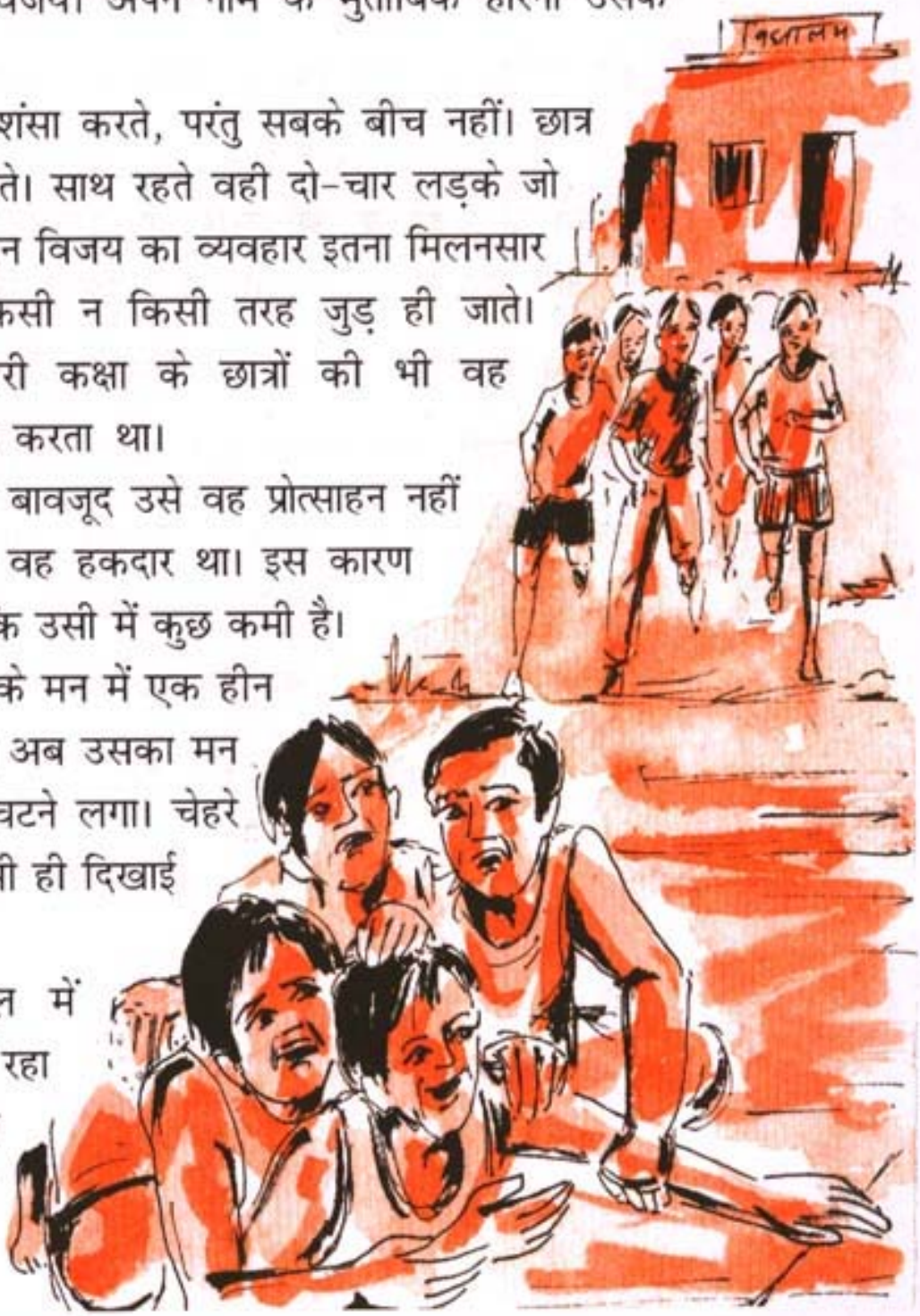

के बाद दूसरे दल ने तीसरी बार खेलने के लिए विजय को ललकारा। उस दल में गांव के दबंग लोगों के लड़के थे। वे खेल की भावना से नहीं खेल रहे थे। वह विजय से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे।

खेल शुरू हुआ। इस बार भी विजय ने वही कमाल दिखाया। तीन-तीन लड़कों की पकड़ में आने के बाद भी उसने पाले को छू लिया।

पाला छूने पर विवाद हो गया। विवाद झगड़े में बदल गया। मारपीट तक की नौबत आ गई। दूसरे दल वाले विजय पर बेईमानी का आरोप लगा रहे थे। विजय मानने को तैयार नहीं था।

हल्ला-गुल्ला सुनकर कुछ दबंग लोग वहां आ गए। एक ने बिना मामला समझे विजय को दो-चार थप्पड़ लगा दिया। दूसरे ने गालियां दीं। तीसरे ने कहा- 'राड़ कहीं का। हमारे बच्चों को हाथ लगाएगा तो ऐसे ही लतियाएंगे।'

विजय चुपचाप भारी मन से वहां से चला गया। मारपीट में लगी चोट और थप्पड़ भी वह भूल चुका था। पर गालियां उसके मन में चुभ गई थीं।

रात में सब सो गए पर विजय की आंखों में नींद नहीं थी। अपने अपमान को याद करते हुए वह इसी सोच में था कि कल से स्कूल जाए या नहीं।

अभ्यास

1. पढ़ाई और खेल में आगे रहने पर भी विजय को प्रोत्साहन क्यों नहीं मिलता था?
2. विजय के साथ अन्य छात्रों का व्यवहार कैसा था?
3. उचित प्रोत्साहन के अभाव में प्रतिभा पर क्या प्रभाव पड़ता है?
4. खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। क्या इस कथन से आप सहमत हैं? यदि हां तो क्यों?
5. क्या दूसरे दल वाले लड़कों ने सही खेल भावना का परिचय दिया?
6. बच्चों के मामले में बड़ों का दखल कहां तक उचित है?
7. कोई जन्म से बड़ा होता है या कर्म से?
8. क्या किसी का अपमान करना मानवीय कदम है?
9. विजय को स्कूल जाना चाहिए या नहीं?
10. हर व्यक्ति को सम्मान पाने का अधिकार है या नहीं?

पीपल्स वाच

- पीपल्स वाच 10 दिसम्बर, 1995 में दो उद्देश्यों के साथ अस्तित्व में आया। पहला, मानवाधिकार उल्लंघन का अनुश्रवण करके मानवाधिकार संरक्षण में राज्य को जवाबदेह बनाना, और दूसरा, मानवाधिकार संस्कृति सुनिश्चित करना।
- व्यक्तियों और समूहों को प्रशिक्षण के जरिए मानवाधिकार संबंधी कौशल और ज्ञान प्रदान करना जो मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर हस्तक्षेप करे।
- मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी अध्ययनों का संचालन और दस्तावेजी करना।
- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर कार्यरत मानवाधिकार संस्थानों, आंदोलनों, संगठनों और संस्थानों के साथ एकजुटता में काम करना ताकि मानवाधिकारों को संरक्षित किया जा सके।

इंस्टीच्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एडुकेशन

पीपल्स वाच ने इंस्टीच्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एडुकेशन का गठन किया है। इसका उद्देश्य मानवाधिकार शिक्षा के जरिए एक मानवाधिकार संस्कृति को विकसित करना है। मानवाधिकार शिक्षा के लिए राष्ट्र संघ दशक आमसभा द्वारा दिसम्बर 1994 में घोषित किया गया। इस दशक की अवधि 1 दिसम्बर 1995 से 31 दिसम्बर 2004 निर्धारित की गई। मानवाधिकार शिक्षा दशक (1995-2004) की प्रेरणा और भारत सरकार की राष्ट्रीय कार्य योजना के उन्मुखीकरण के साथ, यह संस्थान 6 चरणों में वर्ष 1997 से तमिलनाडु के विद्यालयों में मानवाधिकारों को लागू करता रहा है।

तमिलनाडु के स्कूलों में संचालित मानवाधिकार शिक्षा कार्यक्रम एक नजर में-

चरण	अवधि	स्कूल की कोटि	आच्छादित जिला	स्कूल की संख्या	कक्षा	विद्यार्थी	शिक्षक
प्रथम	1 वर्ष (1997-98)	प्राइवेट	01	09	नवम	1,756	90
द्वितीय	2 वर्ष (1998-2000)	नगर पालिका, प्राइवेट, सरकारी	10	122	अष्टम्, नवम्	21,320	315
तृतीय	3 वर्ष (1999-2002)	प्राइवेट	29	238	सप्तम, अष्टम्, नवम्	33,785	730
चतुर्थ	3 वर्ष (2002-2005)	अ. जाति/अ.ज. जाति विद्यालय	29	228	षष्ठम, सप्तम, अष्टम्	25,819	492
पंचम	3 वर्ष (2002-2005)	प्राइवेट	10	134	षष्ठम, सप्तम, अष्टम्	14,330	251
षष्ठम	3 वर्ष (2002-2005)	प्राइवेट	15	115	षष्ठम, सप्तम, अष्टम्	12,650	333
सप्तम	3 वर्ष (2005-2008)	अ. जाति/ जन जाति स्कूल	29	355	षष्ठम, सप्तम, अष्टम्	21,057	233
अष्टम्	3 वर्ष (2005-2008)	प्राइवेट	15	154	षष्ठम, सप्तम, अष्टम्	11,000	200
		कुल	-	1425	-	1,41,717	2,644

मानवाधिकार शिक्षा के विश्व कार्यक्रम (2005–2007) के उद्देश्यों के अनुरूप 2005 में इन्स्टीच्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एडुकेशन द्वारा विद्यालयों में मानवाधिकार शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

विद्यालयों में मानवाधिकार शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम

राज्य	अवधि	विद्यालय	वर्ग	विद्यार्थी	शिक्षक
गुजरात	2005–2008	91	VI एवं VII	8450	110
उड़ीसा	2005–2008	120	VI, VII एवं VIII	8300	114
पश्चिम बंगाल	2005–2008	50	VI एवं VII	8290	61
त्रिपुरा	2005–2008	62	VI	3500	68
छत्तीसगढ़	2005–2008	36	VI	3000	36
राजस्थान	2005–2008	35	VI	3200	40
आंध्र प्रदेश	2005–2008	70	VI एवं VII	4500	65
केरल	2005–2008	55	VI एवं VII	8500	56
कर्नाटक	2005–2008	127	VI, VII एवं VIII	12300	140
बिहार	2007–2008	60	VI	7146	52
	कुल	**706**	**–**	**67186**	**742**

- मानवाधिकार शिक्षा तमिलनाडु के कुछ कालेजों में पहले से ही लागू है। वर्ष 2002 से यह क्रिश्चियन उच्च शिक्षा के अखिल भारतीय संघ (एआइएसीएचई) के कई सदस्य कालेजों में भी लागू की जा चुकी है।
- विभिन्न अनुकूल समूहों का मानवाधिकार पर प्रशिक्षण जैसे जन प्रतिनिधि, अधिवक्ता, आरक्षीकर्मी, चिकित्साकर्मी, श्रम संगठनों के सदस्य, राजनीतिक दल, मीडिया पेशेवर, विभिन्न आंदोलनों, दलित, महिला संगठनों एवं अन्य के बीच।
- मानवाधिकार शिक्षा के लिए मॉड्यूल निर्माण।
- मानवाधिकार शिक्षा के प्रभाव पर शोध संचालन।

इंस्टीच्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एडुकेशन

6, वल्लाबाई रोड, कोच्चिकलम, मदुरै- 625002
फोन : 0452-2539520, फैक्स : 0452-2531874
ई-मेल : ihre@pwtn.org **वेबसाइट** : www.pwtn.org

एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीच्यूट (आद्री), पटना

एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीच्यूट (आद्री) की स्थापना वर्ष 1991 में एक पंजीकृत निकाय के रूप में समाज वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा पटना, बिहार में की गई। बिहार का एशिया महाद्वीप के अन्य भागों से एक लंबा और अभिन्न संबंध रहा है। बिहार के दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और पूर्व एशिया तक बौद्ध धर्म के प्रसार से लेकर पश्चिम एशिया से बिहार तक सूफीवाद और इस्लाम के अन्य मतों के आगमन के कारण, राज्य विचारों के बड़े पैमाने पर आदान-प्रदान का केन्द्र रहा है। इस पृष्ठभूमि में आद्री एशिया, खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में अपनी जगह तलाश करती है।

आद्री का नाम ही महत्वपूर्ण है; बिहार के अधिकतर संस्थानों की तरह नहीं; आद्री न तो क्षेत्रीय और न तो राष्ट्रीय सीमाओं तक बंधकर जगह की तलाश करती है, बल्कि भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में, आद्री स्थानीय और भूमंडलीय, आम और खास तथा विशिष्ट और सार्वभौमिक के बीच संबंधों की तलाश करती है। आद्री समग्र एशिया महाद्वीप में विकास पर शोध के प्रति एक समर्पित संगठन के रूप में समझा जाता है।

आद्री के पीछे मंशा है कि समाज विज्ञान के विकास के मुद्दों को सामने लाना तथा 'विचारों की उत्पत्ति' के साथ 'विचारों के क्रियान्वयन' को समेकित करना। यह समाज विज्ञान का एक समग्र विचार प्रस्तुत करता है एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों को समझने का प्रयास करता है। ऐसा इस वजह से कि आद्री ने अपनी विशेष गतिविधियों में से एक को साक्षरता और सांस्कृतिक परंपरा के केन्द्र के रूप में लिया है।

एक बहुमुखी संस्थान के रूप में आद्री के उद्देश्य हैं :

- स्वयं एक व्यक्ति या एक समूह या समुदाय द्वारा किए गए विकास प्रयासों से सम्बद्ध अकादमिक शोध;
- जहां तक संभव है अनेक वर्गों के लोगों और संस्थानों को सम्मिलित कर शोध के डाटाबेस तथा इनके नतीजों का विस्तार।
- शोध परिणामों को अधिक नवाचारी, रहस्यरहित तथा उपयोगी बनाना; और
- मानव को सामाजिक शोध समग्रता में केन्द्रीय स्थिति में पूरी गरिमा के साथ पुनर्स्थापित करना।

आद्री सोसाइटी की गतिविधियां इसके चार प्रभागों द्वारा संचालित की जाती हैं :

- एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीच्यूट (आद्री)
- वयस्क शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, पटना (बिहार)
- वयस्क शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, रांची (झारखंड)
- धरोहर,
- जन शिक्षण संस्थान

अभी हाल में आद्री द्वारा बिहार के तीन जिलों के साठ मध्य विद्यालयों में मानवाधिकार शिक्षा प्रारंभ की गई है। यह परियोजना इंस्टीच्यूट ऑफ ह्यूमन राइट एडुकेशन, मदुरै, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में चलाई जा रही है।

एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीच्यूट (आद्री), पटना
बीएसआईडीसी कॉलोनी ऑफ बोरिंग पाटलिपुत्रा रोड, पटना- 800 013
फोन : 0612-2265649, फैक्स : 0612-2267102, ई-मेल: adri_patna@hotmail.com
वेबसाइट : www.adri-india.org

बिहार के चयनित जिलों में मानवाधिकार शिक्षा आच्छादित 60 राजकीय मध्य विद्यालय

जिला - पटना प्रखण्ड - धनरूआ	जिला - जहानाबाद प्रखण्ड - जहानाबाद	जिला - भोजपुर प्रखण्ड - कोइलवर
विद्यालय का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का नाम
मध्य विद्यालय, धनरूआ	उर्दू मध्य विद्यालय, जहानाबाद	मध्य विद्यालय, जलपुरतापा
मध्य विद्यालय, सिम्हारी	मध्य विद्यालय, अमैन	मध्य विद्यालय, खानगांव
मध्य विद्यालय, विजयपुरा	मध्य विद्यालय, बभना	कन्या मध्य विद्यालय, चांदी
मध्य विद्यालय, कोसुत	मध्य विद्यालय, भेंवर	मध्य विद्यालय, भदवर
मध्य विद्यालय, पंडितगंज	मध्य विद्यालय, इस्माइलपुर	मध्य विद्यालय, घनडीहा
मध्य विद्यालय, साण्डा	मध्य विद्यालय, कलपा	मध्य विद्यालय, सकड्डी
मध्य विद्यालय, साईं	मध्य विद्यालय, केनारी	मध्य विद्यालय, नरही
मध्य विद्यालय, नदवां	मध्य विद्यालय, कसईं	कन्या मध्य विद्यालय, कुल्हड़िया
मध्य विद्यालय, ओईयारा	मध्य विद्यालय, मोकर	बालक म. विद्यालय, कुल्हड़िया
मध्य विद्यालय, बरनी	मध्य विद्यालय, मुठेर	मध्य विद्यालय, गीधा
मध्य विद्यालय, सकरपुरा	मध्य विद्यालय, सेवनन	मध्य विद्यालय, कायम नगर
मध्य विद्यालय, मोहिउद्दीनपुर	मध्य विद्यालय, सुन्दरपुर	मध्य विद्यालय, बीरमपुर
मध्य विद्यालय, नेतौल	मध्य विद्यालय उंटा, जहानाबाद	मध्य विद्यालय, विशुनपुरा
मध्य विद्यालय, पभेड़ा	मध्य विद्यालय, पंडुई	मध्य विद्यालय, खेसरहिया
मध्य विद्यालय, बांसविगहा	मुरलीधर मध्य विद्या., जहानाबाद	मध्य विद्यालय, पचैना बाजार
मध्य विद्यालय, वीर	उ. मध्य विद्यालय, सिकरिया	मध्य विद्यालय, मोहम्मदपुर
मध्य विद्यालय, टड़वां	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, लरसा	मध्य विद्यालय, मानिकपुर
उ. मध्य विद्या., रघुनाथपुर	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, नैरू	बालक मध्य विद्यालय, कोइलवर
मध्य विद्यालय, देवदहा	मध्य विद्यालय, ईरकी	कन्या मध्य विद्यालय, कोइलवर
उ. मध्य विद्यालय, केवढ़ा	उ. मध्य विद्यालय, भवानीचक	मध्य विद्यालय, राजापुर

मानव अधिकार पर विशेष रचना– श्री के.पी. सक्सेना

धरती, अम्बर, नीर, समीर,
नहीं किसी की है जागीर॥

एक पिता की सब संतान,
मानव-मानव एक समान॥

छोटा और बड़ा है कौन?
कहने वाले हम हैं कौन?

करें दूसरों का सम्मान,
ये है मानव की पहचान॥

चलो आज संकल्प उठाएं,
एक-दूसरे के काम आएं॥

नहीं किसी को करें विवश,
है यही मानव-अधिकार की पुकार॥

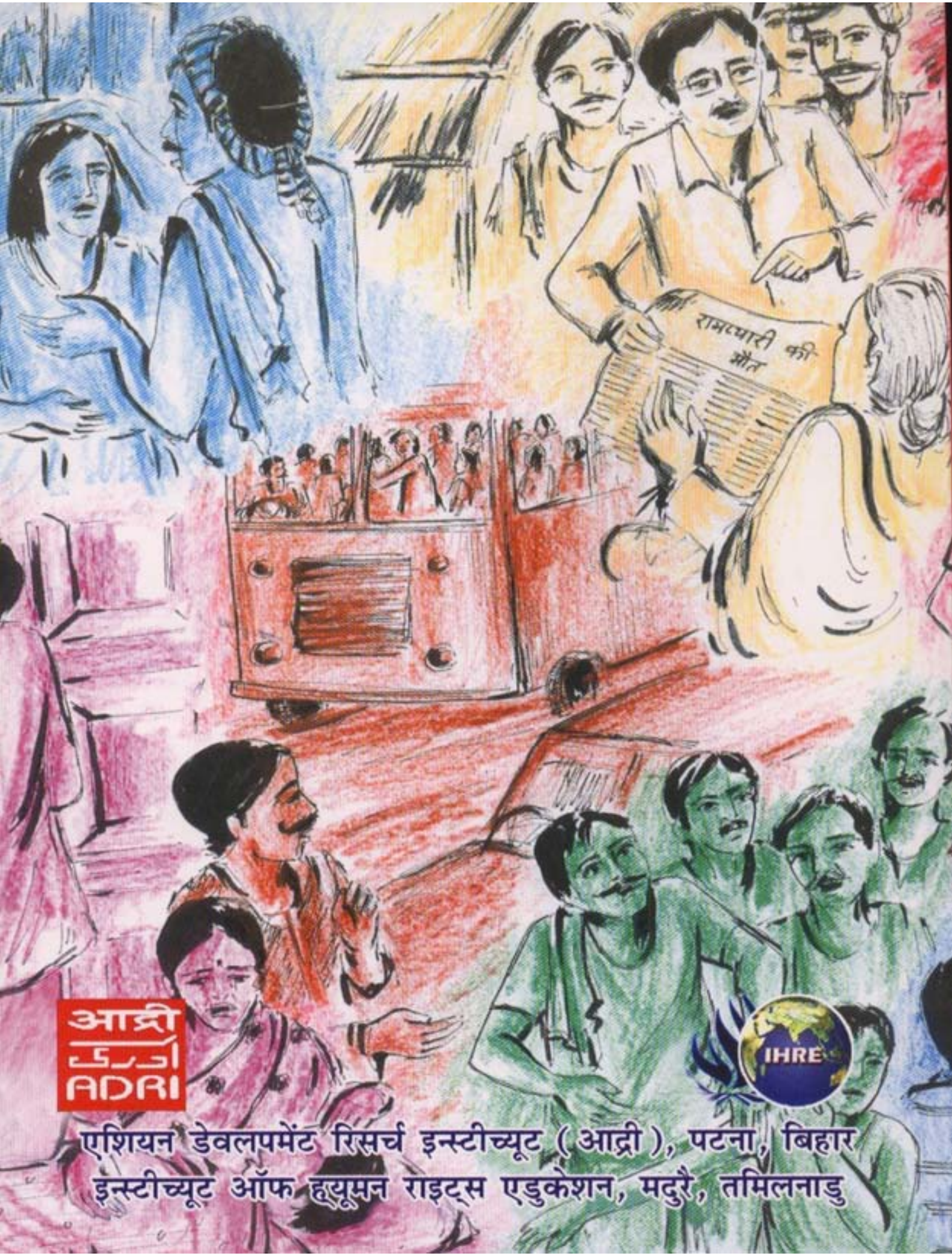

आद्री
ADRI

IHRE

एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीच्यूट (आद्री), पटना, बिहार
इन्स्टीच्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एडुकेशन, मदुरै, तमिलनाडु

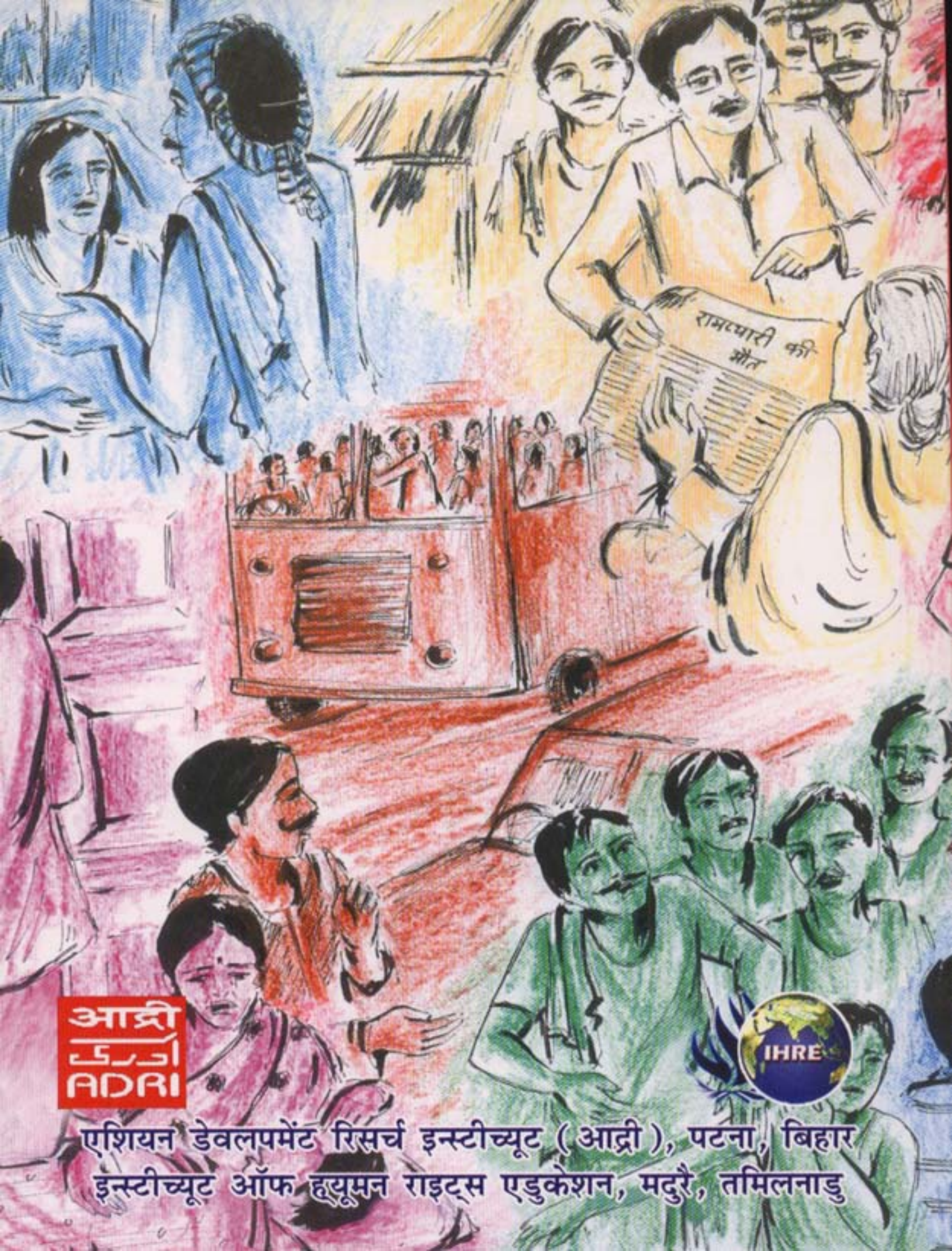

आद्री
ادری
ADRI

IHRE

एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीच्यूट (आद्री), पटना, बिहार
इन्स्टीच्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एडुकेशन, मदुरै, तमिलनाडु